

Fourteenth Lok Sabha
XII Session (15/11/2007 to 07/12/2007)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 15 नवम्बर, 2007/24 कार्तिक, 1929 (शक)

संख्या 260

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. शपथ

श्री प्रांसिस्को सारदीन्हा ने अंग्रेजी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री विजयकुमार खंडेलवाल, नौवीं, दसवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मंजय लाल, छठी लोक सभा के सदस्य श्री यशवंत बोरोले, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री लाला राम केन और तीसरी लोक सभा के सदस्य डॉ एल०एम० सिंघवी के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

4. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—110 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृतांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार, 16 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

* चूंकि शुक्रवार, 16 नवम्बर, 2007 को होने वाली लोक सभा की बैठक तदनुसार 15 नवम्बर, 2007 को मध्याह्न 12.00 बजे हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रद्द कर दी गयी है इसलिए लोक सभा अब सोमवार, 19 नवम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होगी।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 19 नवम्बर, 2007/28 कार्तिक, 1929 (शक)

संख्या 261

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई

अध्यक्ष ने, सभा की ओर से, भारतीय क्रिकेट टीम को भारत में पाकिस्तान के विरुद्ध एकदिवसीय श्रृंखला जीतने पर बधाई दी।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.07 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न 221—406 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

16 नवम्बर, 2007 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 के उत्तरों को भी अतारांकित माना गया और जैसा कि उस दिन सभा की बैठक रद्द की गई थी, उन्हें आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किया जाएगा।

16 नवम्बर, 2007 के लिए सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 111—220 के उत्तर भी आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए भयंकर चक्रवात 'सिडर' के कारण हजारों लोगों की जानें जाने तथा बड़े पैमाने पर सम्पत्ति को हुए नुकसान के बारे में उल्लेख किया। तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.02 बजे

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए हाल के चक्रवात के कारण हुई तबाही के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.05 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 9 अक्टूबर, 2007 की उद्घोषणा, जो कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 9 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 653(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 9 अक्टूबर, 2007 के आदेश, जो 9 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 654(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रपति को कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा भेजे गए 8 अक्टूबर, 2007 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 12 नवम्बर, 2005 की उद्घोषणा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के संबंध में 9 अक्टूबर, 2007 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 700(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकान्हि 431(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) राष्ट्रपति द्वारा 15 सितंबर, 2007 को प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 7)।
 - (दो) राष्ट्रपति द्वारा 27 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 8)।
- (8) (एक) नेशनल लेबर कोआपरेटिव फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लेबर कोआपरेटिव फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई, के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई, के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 13 अगस्त, 2007 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दैरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयक सभा पटल पर रखे:

1. भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007;
2. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2007;
3. विनियोग (रेत) संख्यांक 3 विधेयक, 2007;
4. अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) विधेयक, 2007;
5. शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007; और
6. सड़क से वहन विधेयक, 2007.

महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित, भी सभा पटल पर रखीं:

1. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007;
2. भाण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007;
3. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2007;
4. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2007; और
5. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2007.

अपराह्न 12.06 बजे

7. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें उत्तराखण्ड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडडी का 13 सितम्बर, 2007 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और यह कि उन्होंने 13 सितम्बर, 2007 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री किरिप चालिहा ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

- (एक) ‘हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का कार्यकलाप — एक समीक्षा’ के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन*;
- (दो) ‘सीएनजी और एलएनजी सहित प्राकृतिक गैस के आपूर्ति, वितरण और विपणन’ के बारे में 16वां प्रतिवेदन*; और
- (तीन) ‘तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति’ के बारे में 17वां प्रतिवेदन*।

9. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों# की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की—

- (एक) नये रेलवे जोनों के निष्पादन संबंधी 32वां प्रतिवेदन;

*अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तब प्रतिवेदन 21 अक्टूबर, 2007 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

#अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तब 32वें और 33वें प्रतिवेदनों को 14 सितम्बर, 2007 को और 34वें प्रतिवेदन को 6 नवम्बर, 2007 को लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

- (दो) रेलवे में औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण संबंधी 33वां प्रतिवेदन;
- (तीन) उप-नगरीय और मेट्रो रेल संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रवि प्रकाश वर्मा ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

- (एक) नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के बारे में 199वां प्रतिवेदन; और
- (दो) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007' के बारे में 200वां प्रतिवेदन।

11. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 19 नवम्बर, 2007 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपोषीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

- (1) श्री इकबाल अहमद सरड़ी द्वारा रमनगराम-मैसूर के बीच रेल लाइन को दोहरा बनाने के लिए निधियों का वार्षिक आबंटन बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री मदन लाल शर्मा द्वारा रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अखनूर, जम्मू और कश्मीर में विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस० के० खारकेनथन द्वारा धान के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री डी० नरबुला द्वारा पश्चिम बंगाल में बालासन की दार्जिलिंग पेय जल परियोजना को शोध पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री जीवाभाई ए० पटेल द्वारा मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 'स्वजलधारा' योजना लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (6) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा भरूच-जम्बूसर रेल लाइन को ब्राडगेज में बदलने तथा नेत्रा और अंकलेश्वर के बीच रेल लाइन को नंदरबार तक बढ़ाते हुए पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री मनोरंजन भक्त द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ‘लैप्रोपाइरोसिस’ के और फैलने को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) प्रौ० महादेवराव शिवनकर द्वारा नागपुर के जिन किसानों की भूमि विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए अधिग्रहीत की जा रही है उन्हें समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री योगी आदित्य नाथ द्वारा ‘भोजपुरी’ भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) प्रौ० रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान में और अधिक गांवों को ‘राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना’ के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती सी० एस० सुजाता द्वारा प्रतिकूल बाजार दशाओं के कारण केरल में व्यथित नारियल उत्पादकों को राहत देने के लिए उचित तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डा० के० एस० मनोज द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर थुरावूर से केरल में मुख्य केन्द्रीय सड़क तक सड़क-मार्ग बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रघुराज सिंह शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के औरेया जिले के किसानों को एन०टी०पी०सी० दिवियापुर से विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में बरेली-पीलीभीत-बस्ती को जोड़ते हुए मौजूदा राज्य राजमार्ग संख्या 26 को राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर तक उन्नत बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री राम कृपाल यादव द्वारा शिक्षा सत्र 2008-09 से पटना बिहार में आई०आई०टी० खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री सी० कुप्पुसामी द्वारा वर्धित उत्पादकता आधारित बोनस केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (17) श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल द्वारा खाद्य अपमिश्रम निवारण अधिनियम, 1954 में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा किए गए संशोधनों का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री भर्तुहरि महताब द्वारा कोयला और अन्य खनिजों पर रॉयलटी को यथामूल्य आधार पर बिक्री मूल्य का 20 प्रतिशत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता द्वारा जिला कोडरमा झारखण्ड में कोनार नहर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपग्रहन 12.11 बजे

(लोक सभा मंगलवार 20 नवम्बर, 2007 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007/29 कार्तिक, 1929 (शक)

संख्या 262

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 407—574 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राष्ट्रपति आदेश, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1937(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित उपयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत का राज्य संप्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007, जो 4 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 643(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2007, जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 533(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—
- (एक) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल ड्राफ्ट्समैन समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ पद (कॉम्बेटाइज्ड) भर्ती नियम, 2007, जो 21 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 64 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सीमा सुरक्षा बल, कॉम्बेटाइज्ड कॉन्सटेबल (दफतरी) समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2007, जो 21 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 65 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग समूह ‘ग’ पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007, जो 28 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 67 में प्रकाशित हुए थे।
- (5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—
- (एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा संवर्ग, निरीक्षक (ड्रेसर वेटरिनरी) समूह ‘ख’ पद भर्ती नियम, 2007, जो 24 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 622(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायोनियर संवर्ग, कॉन्सटेबल (पायोनियर) समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2007, जो 20 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (6) (एक) स्टेट मिशन अथोरिटी, सर्व शिक्षा अभियान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य, क्षेत्र पोर्टब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्टेट मिशन अथोरिटी, सर्व शिक्षा अभियान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2007, जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1361(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (10) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड कर्मचारी (परिवीक्षा) नियम, 2007, जो 21 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साल्कान्हि 363(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) इंडियन डायमंड इन्स्टीट्यूट, सूरत का वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमंड इन्स्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) डॉ बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डॉ बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2004-2005, वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) (एक) सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (35) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोड़े के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोड़े के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (54) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (अधिकथित अपराध की सूचना) नियम, 2007, जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं^o सांकानिं 544 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील खां ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2007-08 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

- (1) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (2) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (3) 'पेट्रो रसायनों की मांग और उपलब्धता' विषय पर समिति के 18वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(4) 'उर्वरकों का उत्पादन, खरीद और संचलन' विषय पर समिति के 19वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

4. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए—

- (1) 'प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुद्दे' विषय पर 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन;
- (2) विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) संबंधी 15वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन;
- (3) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) संबंधी 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा परिवहन पर रखीः—

- (1) विमान से वहन (संशोधन) विधेयक, 2007 संबंधी समिति का 124वां प्रतिवेदन*;
- (2) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 116वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति का 125वां प्रतिवेदन; और
- (3) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति का 126वां प्रतिवेदन।

* क्रम सं० 1 पर दिया गया प्रतिवेदन 17 अक्टूबर, 2007 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय सभापति के निदेशों के निदेश 31(1) के अंर्गत माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया था और माननीय सभापति ने प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था और उसी दिन अध्यक्ष, लोक सभा को तदनुसार सूचित किया गया था।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

6. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री पी० चिदंबरम ने वर्ष 2007-08 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

श्री पी० चिदंबरम ने वर्ष 2005-06 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)
अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा बुधवार, 21 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डॉ० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 21 नवम्बर, 2007/30 कार्तिक, 1929 (शक)

संख्या 263

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 83, 84, 85 और 87 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 86 और 88—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 575—762 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इनोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इनोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 1538(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित निगमों, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किए गए, सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के लिए उक्त अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ अधिकारियों का स्तर विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमेन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमेन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 670(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमेन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 671(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमेन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो

18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 672(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 674(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2007, जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 367(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र केवल हिन्दी संस्करण जो 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 513(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2007, जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 458(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 518(अ) जो 31 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 644(अ) जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (दो) का०आ० 97(अ) जो 1 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
 - (तीन) का०आ० 1451(अ) जो 23 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर कलेक्टर-I, जयपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
 - (चार) का०आ० 526(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर कलेक्टर-I, जयपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
 - (पांच) का०आ० 527(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब-डिवीजनल अधिकारी, श्री माधोपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
 - (छह) का०आ० 528(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर कलेक्टर-I, जयपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (सात) का०आ० 1425(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 1314(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और 85 (छपरा-हाजीपुर और छपरा-सिवान-गोपालगंज खण्डों) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 732(अ) जो 10 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 142(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दस) का०आ० 733(अ) जो 10 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 143(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (ग्यारह) का०आ० 1362(अ) और का०आ० 1363(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (वडोदरा-सूरत खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 632(अ) जो 23 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-माहवा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 1225(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 47(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (चौदह) का०आ० 1378(अ) जो 8 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 534(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पन्द्रह) का०आ० 1220(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलामंगला खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 1412(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के, उसमें उल्लिखित खण्ड के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय आधार शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 1041(अ) जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, फरीदाबाद को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 1312(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1289(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का०आ० 1313(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1290(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बीस) का०आ० 1415(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का०आ० 1416(अ) से का०आ० 1420(अ) जो 27 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण चौड़ा करने (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (बाईस) का०आ० 1421(अ) और का०आ० 1422(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खण्ड, पिंजौर-कालका-परवानू बाईपास सहित) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 1423(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 85(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) का०आ० 1445(अ) जो 22 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (ओरई-भोगनीपुर खण्ड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (भोगनीपुर-बारा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 1566(अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1675(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का०आ० 1466(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व), मुजफ्फरनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।
- (सताईस) का०आ० 1540(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर टॉल प्लाजा के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।
- (अठाईस) का०आ० 1726(अ) जो 10 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले

खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का०आ० 1529(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का०आ० 1756(अ) जो 15 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्तीस) का०आ० 1727(अ) और 1728(अ) जो 10 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-रिमुली खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का०आ० 1554(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (एक से छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेन्ट्रल जू ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 1539(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 1811 (अ) जो 24 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- *(14)** कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 20 नवम्बर, 2007 की उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 20 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 723(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- *(15)** उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड(ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 20 नवम्बर, 2007 का आदेश, जो 20 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 724(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- *(16)** कर्नाटक के राज्यपाल की राष्ट्रपति को भेजी गई 19 नवम्बर, 2007 के प्रतिवेदन की की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

* अपराह्न 2.17 बजे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री एन० जनार्दन रेड्डी ने 'राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. कार्य मंत्राणा समिति का प्रतिवेदन

श्री रूपचंद पाल ने कार्य मंत्राणा समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 14वें और 16वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने गरीब और जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के 29 अगस्त, 2007 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आदिवासियों और दलित व्यक्तियों की छंटनी के बारे में श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के अतारांकित प्रश्न संख्या 4745 के 9 मई, 2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. प्राक्कलन समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सौ० कुप्पुसामी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उप नियम (3) के अंतर्गत, श्री विजय कुमार खण्डेलवाल, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समयः 5 घन्टे 46 मिनट

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रस्ताव तथा उसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बारे में एक चर्चा उठाईः—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः—

1. श्री प्रियरंजन दासमुंशी

(लोक सभा अपराह्न 1.22 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.18 बजे

2. श्री मोहम्मद सलीम
3. प्रो॰ राम गोपाल यादव
4. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
5. श्री इलियास आजमी
6. श्री गुरुदास दासगुप्त
7. श्री अनंत गुढ़े
8. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
9. डा॰ रतन सिंह अजनाला
10. श्री प्रभुनाथ सिंह
11. श्री खारबेल स्वार्ड
12. श्री जय प्रकाश
13. प्रो॰ एम॰ रामदास
14. श्री असादुद्दीन ओवेसी
15. श्री सुब्रत बोस
16. श्री सनत कुमार मंडल
17. श्री सैयद साह नवाज हुसैन
18. श्री अबू हशीम खाँ चौधरी

19. श्री बसुदेव आचार्य

20. श्री मधुसूदन मिस्ट्री

श्री शिवराज वी० पाटील ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 6.46 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा देश में धान के लिए विशेष प्रोत्साहन मूल्य शीघ्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री वी०के० ठुम्मर द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजकोट और भावनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 33 को चौड़ा किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हरिभाऊ माधव जावले द्वारा महाराष्ट्र में चीनी मिलों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सुभाष एस० देशमुख द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-13 को चार लेन वाला बनाने और राजमार्ग पर दुर्घटना अभियाता केन्द्र (एक्सिडेंट ट्रॉमा सेन्टर) स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पुनु लाल मोहाले द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री काशीराम राणा द्वारा गुजरात के किसानों को 7% की दर से कृषि ऋण उपलब्ध कराने का उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अनन्त नायक द्वारा क्योंजारगढ़ से होकर भुवनेश्वर और टाटानगर के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने और हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को क्योंजारगढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) एडवोकेट पी० सतीदेवी द्वारा केरल के कुनुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर धर्मादम-मुजप्पीलंगड़ पर एक नया पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा नेपाल से आने वाली नदियों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा बिहार के महाराजगंज और मशरख के बीच रेल लाईन बिछाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) प्रौ० एम० रामदास द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में सेवाओं की आऊटसोर्सिंग रोकने और झारखंड में राज महल लालमट्टी परियोजना में कार्यरत कर्मकारों के कल्याण हेतु सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री के० येरननायडु द्वारा धान उत्पादकों की दशा सुधारने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रामदास बंडु आठवले द्वारा सामान्य श्रेणी के लोगों को उनकी जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

सायं 6.47 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 22 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 22 नवम्बर, 2007/1 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 264

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—105 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 106—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 764—958 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006—2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2006—2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (3) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 694(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 2006/ईएण्डआर/700/1/पीटी जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 2007 से दक्षिण रेलवे में सेलम में नया डिवीजन गठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6क की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 559(अ) जो 21 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो बेल हेड मूल्य का अवधारण किए जाने के बारे में है तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव ने विशेषाधिकार समिति के नौवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं।

5. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ने “पारस्परिक रूप से निम्नतर सम्मत मूल्य अपनाने के कारण अवमूल्यन” के बारे में लोक लेखा समिति (2007-2008) का 57वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं—

- (1) “राजस्थान में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं का कार्यकरण” विषय पर छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण।

- (2) “सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उचित नियोजित नीति—भूमंडलीकरण और अन्य सुधार उपयों के पश्चात् स्थिति की समीक्षा” विषय पर 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण।

7. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती बोत्वा झांसी लक्ष्मी ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:

- (1) “एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना” संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन;
- (2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 26वां प्रतिवेदन; और
- (3) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 27वां प्रतिवेदन।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री आर० सांबासिवा राव ने जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) संबंधी सातवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 16वें, 23वें और 24वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

10. केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डा० अंबुमणि रामदास ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के

अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

11. ध्यानाकर्षण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने स्वास्थ्य सेवाओं की ऊँची लागत से उत्पन्न स्थिति तथा प्राइवेट नर्सिंग होमों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(सभा अपराह्न 12.50* बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.55 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 1.55 बजे

12. प्रस्ताव

श्री रूपचंद पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 21 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007

14. सरकारी विधेयक—पुरस्थापित

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007

15. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

* अपराह्न 12.35 बजे से उपराह्न 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

16. सरकारी विधेयक— पुरःस्थापित

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007

17. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

18. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

नेपा लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007

अपराह्न 1.59 बजे

19. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) डा० सत्यनारायण जटिया ने केन्द्रीय पुल से मध्य प्रदेश को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री अविनाश राय खन्ना ने पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री पी० करुणाकरन ने कालीकट (केरल) और खाड़ी देशों के बीच सीधी हवाई उड़ानों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्री राजनरायन बुधौलिया ने एक नये राज्य ‘बुंदेलखण्ड’ का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्री मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम की बंद यूनिट को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार ने केरल स्थित येरुमेली को राष्ट्रीय तीर्थ-स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) डा० अरुण कुमार शर्मा ने असम में गैर -वाणिज्यिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को विशेष केन्द्रीय योजना के अधीन वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपग्रहन 2.10 बजे

20. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समयः 3 घंटे 48 मिनट

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007

डॉ अंबुमणि रामदास ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती मेनका गांधी
2. डॉ करण सिंह यादव
3. डॉ राम चन्द्र डोम
4. श्री राम कृपाल यादव
5. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
6. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
7. श्री शैलेन्द्र कुमार
8. श्री प्रबोध पाण्डा
9. प्रो० रासा सिंह रावत
10. श्री एस० के० खारवेनथन
11. श्री अनंत गंगाराम गंगीते
12. डॉ आर० सेनथिल
13. श्री वरकला राधाकृष्णन
14. डॉ के० एस० मनोज

डॉ अंबुमणि रामदास ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 यथासंशोधित स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ अंबुमणि रामदास ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपग्रहन 5.58 बजे

आवंटित समयः 1 घंटा
लिया गया समयः 2 मिनट
शेषः 58 मिनट

21. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007
श्री संतोष मोहन देव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री खारबेल स्वाई ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.55 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2007 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

* सायं 6.01 बजे से सायं 6.55 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2007/2 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 265

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121, 122, 123, 125, 127, और 128 के मौखिक उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्या 124, 126 और 129—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 959—1176 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा क्षमता व्यूगे (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियां भरने की रीति, शुल्क और भत्ते तथा उनके कृत्य निर्वहन की प्रक्रिया) नियम, 2007 जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि 537(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत मंत्रियों के निवास (संशोधन) नियम, 2007 जो

7 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 137 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश के बारे में श्वेत पत्र (31 जुलाई, 2007) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 8, 4 और 2(च) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) आ०सं० 193(अ) जो 8 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा गोवा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
 - (दो) आ०सं० 190(अ) जो 8 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
 - (तीन) आ०सं० 3(अ) जो 28 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा त्रिपुरा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
 - (चार) आ०सं० 13(अ) जो 13 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा मिजोरम राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

- (पांच) आ०सं 6(अ) जो 23 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा केरल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (छह) आ०सं 35(अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (सात) आ०सं 37(अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (आठ) आ०सं 61(अ) जो 12 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (नौ) आ०सं 63(अ) जो 12 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (दस) आ०सं 24(अ) जो 28 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (ग्यारह) आ०सं 42(अ) जो 29 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा सिक्किम राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (बारह) आ०सं 5(अ) जो 27 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र

में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

- (तेरह) आ० 38(अ) जो 19 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा गुजरात राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (चौदह) आ० 19(अ) जो 17 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा उड़ीसा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (पन्द्रह) आ० 62(अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (सोलह) आ० 78(अ) जो 4 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (सत्रह) आ० 22(अ) जो 27 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (अठारह) आ० 105(अ) जो 30 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा हरियाणा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (उन्नीस) आ० 7(अ) जो 22 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (बीस) आ० 4(अ) जो 19 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।
- (इक्कीस) आ० 28(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा मेघालय राज्य में, उसमें उल्लिखित,

संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है तथा उसका शुद्धिपत्र जो 2 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या आ०सं 89(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बाईस) आ०सं 46(अ) जो 23 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(तर्फ़िस) आ०सं 52(अ) जो 5 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा तमिलनाडु राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(चौबीस) आ०सं 63(अ) जो 30 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(पच्चीस) आ०सं 79(अ) जो 11 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा बिहार राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(8) परिसीमन आयोग 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आ०सं 9(अ) जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें गोवा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(दो) आ०सं 10(अ) जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पापिंडचेरी संघ राज्यक्षेत्र में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(तीन) आ०सं 18(अ) जो 12 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें त्रिपुरा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(चार) आ०सं 27(अ) जो 27 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मिजोरम राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 11 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या आ०सं० 34(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (पांच) आ०सं० 29(अ) जो 31 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें केरल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (छह) आ०सं० 4(अ) जो 25 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें राजस्थान राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (सात) आ०सं० 9(अ) जो 15 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (आठ) आ०सं० 52(अ) जो 2 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 25 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या आ०सं० 71(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (नौ) आ०सं० 58(अ) जो 19 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (दस) आ०सं० 64(अ) जो 31 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (ग्यारह) आ० सं० 80(अ) जो 4 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें सिक्किम राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (बारह) आ० सं० 85(अ) जो 20 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

- (तेरह) आ० सं० 121(अ) जो 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें गुजरात राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (चौदह) आ० सं० 122(अ) जो 15 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उड़ीसा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (पन्द्रह) आ० सं० 123(अ) जो 18 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 30 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या आ०सं० 50(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (सोलह) आ० सं० 124(अ) जो 28 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उत्तरांचल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (सत्रह) आ० सं० 2(अ) जो 10 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (अठारह) आ० सं० 18(अ) जो 15 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें हरियाणा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (उन्नीस) आ० सं० 78(अ) जो 31 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (बीस) आ० सं० 70(अ) जो 14 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मध्य प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (इक्कीस) आ० सं० 91(अ) जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मेघालय राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा

उसका शुद्धिपत्र जो 30 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या आ०सं० 104(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (बाईस) आ० सं० 90(अ) जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (तेईस) आ० सं० 108(अ) जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें तमिलनाडु राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (चौबीस) आ० सं० 110(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें झारखण्ड राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (पच्चीस) आ० सं० 111(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें बिहार राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।
- (9) उपर्युक्त (7 और 8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रिसैटेलमेंट पोलिसी, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाःसं 26011/4/2007-एलआरडी में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 29क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या काःआ० 1693(अ) जो 3 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक अध्यक्ष और चार सदस्यों वाले गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साःकाःनि० 588(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या साःकाःनि० 611(अ) जो 21 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कंपनियों को निधि का दर्जा प्रदान किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या साःकाःनि० 548(अ) जो 14 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 31 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या साःकाःनि० 450(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-01 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-01 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेन्ट्रल सोशल वेलफेर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल सोशल वेलफेर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:—
- (एक) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर
 - (दो) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक
 - (तीन) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर
 - (चार) रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर
 - (पांच) चिकमगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर
 - (छह) चम्बल-ग्वालियर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्वालियर
 - (सात) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
 - (आठ) का बैंक नौंगकिंगड़ोंग री खासी ज़ैतिया शिलांग,
 - (नौ) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव
 - (दस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
 - (ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

- (बारह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर
- (तेरह) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- (चौदह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर
- (पंद्रह) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़
- (सोलह) बड़ौदा पश्चिम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बरेली
- (सत्रह) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा
- (अठारह) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा
- (उन्नीस) त्रिवेनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जालौन
- (बीस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
- (इक्कीस) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर
- (बाईस) आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडपा
- (तेइस) बांगिया ग्रामीण विकास बैंक, गोराबाजार
- (चौबीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम
- (पच्चीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तुर
- (छब्बीस) उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलनगीर
- (सत्ताइस) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची
- (अठाईस) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर
- (25) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाणि 567(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत

या वहां से निर्यातित पेरोक्सोसल्फेट्स के आयात पर अंतिम प्रतिपाठन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकाणि० 568(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 40/2007-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकाणि० 570(अ) जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित फिनॉल के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर प्रतिपाठन शुल्क के उद्ग्रहण को 12 अगस्त, 2008 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकाणि० 571(अ) और सांकाणि० 572(अ) जो 3 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फैरासिट्यमॉल के आयात पर अल्पकालिक समीक्षा जांचों के अंतिम निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकाणि० 599(अ) जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डेक्टाइल लोहे के पाइपों के भारत में आयात पर अभिहित प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट दरों पर (अंतिम निष्कर्षों के आधार पर) निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकाणि० 600(अ) जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित फॉस्फोरिक एसिड के आयात पर अनंतिम प्रतिपाठन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकाणि० 605(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, कोरिया जनवादी गणराज्य, अथवा ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित फिनॉल के आयात पर अनंतिम प्रतिपाठन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (आठ) सांकाण्ठि० 625(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 37/2004-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकाण्ठि० 626(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या 66/2007-सी०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकाण्ठि० 627(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बुल्गारिया, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्री-सेंसोटाइज्ड पोजिटिव ऑफ सेट एल्युमिनियम प्लेट्स के भारत में आयात पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकाण्ठि० 651(अ) जो 9 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य और जर्मनी से एक्रिलो नाईट्रोइल बूटाडाइन रबड़ के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अल्पकालिक समीक्षा जांचों के निष्कर्ष लंबित रहने तक प्रतिपाटन शुल्क का उद्घरण बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (27) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाण्ठि० 583(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 मार्च, 2006 को हुई भारत-चिली अधिमान व्यापार करार के अंतर्गत भारत द्वारा सम्मत विनिर्दिष्ट मर्दों पर सीमा शुल्क छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकाण्ठि० 598(अ) जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वैट/बिक्री कर के स्थान पर आयातों पर उद्घरित 4% अतिरिक्त सीमा शुल्क को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस शर्त के अध्यधीन कि पुनर्बिक्री पर ऐसी आयातित वस्तुओं पर समुचित वैट/बिक्री कर अदा किया गया हो, के रिफंड के लिए एक तंत्र विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (28) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकानि० 601(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातिकों द्वारा प्राप्त उनमें उल्लिखित कर योग्य सेवाओं, जो “आदान सेवाओं” की प्रकृति में नहीं आती लेकिन जिन्हें निर्यात वस्तुओं से जोड़ा जा सकता है, उन पर उद्घारणीय पूरे सेवा कर से कतिपय शर्तों के अध्यधीन, अदा किए गए सेवा कर को रिफंड करके छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकानि० 645(अ) जो 6 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातिकों द्वारा प्राप्त उनमें उल्लिखित कर योग्य सेवाओं, जो “आदान सेवाओं” की प्रकृति में नहीं आती लेकिन जिन्हें निर्यात वस्तुओं से जोड़ा जा सकता है, उन पर उद्घारणीय पूरे सेवा कर से कतिपय शर्तों के अध्यधीन, अदा किए गए सेवा कर को रिफंड करके छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (29) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेनवैट क्रेडिट (नौवां संशोधन) नियम, 2007 जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 596(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 597(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकानि० 610(अ) जो 20 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006- के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकानि० 652(अ) जो 9 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006- के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (30) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2007 जो 30 जून, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 26 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) बड़ौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 2 जून, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 22 में प्रकाशित हुए थे।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क और 23घ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1485(अ) जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुरी ग्राम्य बैंक और ढेंकानाल ग्राम्य बैंक के समामेलन के बारे में है।
 - (दो) का०आ० 1564(अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुरी ग्राम्य बैंक और ढेंकानाल ग्राम्य बैंक के विघटन के बारे में है।
- (33) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उप-धारा (8) के अंतर्गत केनरा बैंक, बंगलौर और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा के एक सदस्य के लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति से सहबद्ध होने के बारे में राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (एक) “भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक में नियंत्रण प्रणालियाँ” संबंधी लोक

लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 58वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(दो) “विलम्ब से क्रय तथा फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिप्राप्त उपस्करों का नगण्य उपयोग” संबंधी लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गुरुदास कामत ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित “अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं” विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2007-08) का 22वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने बैंककारी उद्योग की नीतियों में बदलाव के संबंध में श्री सी० एच० वेंकटाचलम, महासचिव, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लायज एसोसिएशन और श्री आर० ज० श्रीधरन, महासचिव, ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 171वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

\$(तीन) गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में हुए बम विस्फोटों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

* सभा सत्र में न होने के कारण माननीय अध्यक्ष को प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71(क) के अंतर्गत 15 अक्टूबर, 2007 को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दे दी।

§ अपराह्न 4.01 बजे

अपराह्न 12.07 बजे

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री विजय हान्डिक ने 26 नवम्बर, 2007 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.13 बजे

10. ध्यानाकर्षण

प्रौढ़ विजय कुमार मल्होत्रा ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खराब गेहूं की आपूर्ति के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

*11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

श्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2007-08 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**(सभा अपराह्न 1.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.10 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 56 मिनट

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007

श्री संतोष मोहन देव द्वारा 22 नवम्बर, 2007 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री खारबेल स्वाई
2. श्री एस०कौ० खारबेनथन
3. श्री स्वदेश चक्रवर्ती

* अपराह्न 12.04 बजे

**अपराह्न 12.55 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

4. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

5. श्री वरकला राधाकृष्णन

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4, स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष मोहन देव ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियामों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 6 के अंतःस्थापन हेतु संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 6 भी स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री संतोष मोहन देव ने प्रस्ताव किया कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 3.04 बजे

आवंटित समय	:	3 घंटा
लिया गया समय	:	26 मिनट
शेष	:	2 घंटे 34 मिनट

13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006

श्री पी० चिदम्बरम् ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री थावरचन्द गेहलोत ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

14. प्रस्ताव

श्री जय प्रकाश (हिसार) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 21 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन

श्री रामकृपाल यादव द्वारा 31 अगस्त, 2007 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“यह सभा सरकार से देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य तथा एक समान शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने का आग्रह करती है।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री रामकृपाल यादव
- (2) श्री जे० एम० आरुन रशीद
- (3) श्री थावरचन्द गेहलोत
- (4) श्री शैलेन्द्र कुमार

- (5) डा० के० एस० मनोज
- (6) श्री भर्तुहरि महताब
- (7) डा० सिबैस्टियन पॉल
- (8) श्री अरुण कुमार बुन्डावल्ली
- (9) श्री रवि प्रकाश वर्मा
- (10) श्री सी० के० चन्द्रप्पन (भाषण अपूर्ण)
चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.12 बजे

(लोक सभा सोमवार, 26 नवम्बर, 2007 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 26 नवम्बर, 2007/5 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 266

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 23 नवम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, बाराणसी और लखनऊ में हुए श्रृंखलाबद्ध बम-विस्फोटों में हुई मौतों और कई व्यक्तियों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने असम में हुए बम-विस्फोटों में हुई मौतों का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141, 142, 144, 145, 146 और 149 के मौखिक उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्या 143, 147, 148 और 150—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1177—1389 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सुश्री डोला बनर्जी को 24 नवम्बर, 2007 को दुबई में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी।

उन्होंने सभा की ओर से भारतीय कप्तान श्री अनिल कुंबले और उनके टीम के साथियों को भी 26 नवम्बर, 2007 को नई दिल्ली में पाकिस्तान के विरुद्ध पहला टेस्ट मैच जीतने पर बधाई दी।

उन्होंने सभा की ओर से संसद सदस्य और संसदीय एकादश क्रिकेट टीम के कप्तान श्री मोहन रावले को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के एकादश टीम के साथ शनिवार, 24 नवम्बर, 2007 को हुए एकदिवसीय मैच में जीत हासिल करने पर बधाई दी।

मध्याह्न 12 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (क) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ख) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (2) आल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (3) आल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) शिक्षु (पांचवा संशोधन) नियम, 2007 जो 21 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) शिक्षु (छठा संशोधन) नियम, 2007 जो 6 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 576(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) वर्ष 2007-2008 के लिये वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 20 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 607(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) डायरेक्ट टू होम ब्रोडकास्टिंग सर्विसेज (सेवा के मानदंड अथवा गुणवत्ता और शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 4-55/2007-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 4-54/2007-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) डोमेस्टिक लीज्ड सर्किट्स विनियम, 2007 जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 404-1/2007-एफएन में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के रजिस्ट्रीकरण तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ बातचीत के लिये दिशानिर्देशों का विनियमन (दूसरा संशोधन), 2007 जो 1 सितम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 330-2/2007-सीए में प्रकाशित हुए थे।

- (8) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ सं 101-60/2006-एमएन जो 3 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 6 जून, 2007 के टेलीकॉम अनसोलीसाइटिड कमर्शियल कम्प्युनिकेशन्स विनियम, 2007 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (10) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ओपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ओपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ओपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नेशनल को-ओपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलोपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ओपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलोपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल को-ओपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलोपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2001-02 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2001-02 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इमफाल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इमफाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इमफाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इमफाल के वर्ष 2000-01 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इमफाल के वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर से (लाइसेंस की आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2007, जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1488(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) डेवलपमेंट काउंसिल फॉर शुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) डेवलपमेंट काउंसिल फॉर शुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के

भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

7. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007

अपराह्न 12.07 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में हुए बम-विस्फोटों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने इस मामले में निवेदन किया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री मोहन सिंह
3. श्री योगी आदित्यनाथ
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री प्रभुनाथ सिंह
6. कुंवर जितिन प्रसाद
7. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

8. श्री राजेश वर्मा
 9. श्री गुरुदास दासगुप्त
 10. श्री बृजकिशोर त्रिपाठी
 11. श्री अनंत गंगाराम गीते
 12. श्री संतोष गंगवार
 13. श्री निखिल कुमार
 14. श्री रामदास आठवले
 15. श्री असादूद्दीन ओवेसी
 16. श्री भर्तृहरि महताब
- श्री शिवराज विं पाटील ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.57 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा कर्नाटक में नई रेल परियोजनाओं की संस्थापना की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ करण सिंह यादव द्वारा राजस्थान के बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक ऊपरि-पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री वीष्मो ठुमर द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाईल सेवा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जीवाभाई ए पटेल द्वारा राजस्थान के हिमतनगर-विजयपुर-मेहसाना-राधनपुर राजमार्ग का स्तरोन्नयन राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री चन्द्रशेखर दुबे द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर फेन्सिंग में एनबीसीसी द्वारा किए गए काम की जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (6) श्री हरि सिंह चावड़ा द्वारा पालनपुर और गांधी धाम के बीच स्थानीय रेल सेवा फिर से शुरू किए जाने तथा पालनपुर और अहमदाबाद के बीच डीएमयू रेल सेवा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा आगरा से मुम्बई तक और मध्य प्रदेश के शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंदौर से बैतुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार-क्षेत्रों का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा सिंचाई के लिए जल के अत्यंत अभाव का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में नलकूपों को लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सुरेख अंगड़ि द्वारा बंगलौर और बलगाम के बीच 'रानी चेनम्मा एक्सप्रेस' की समय-सारणी पुनः निर्धारित करने तथा यात्रा का समय कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री हरिभाऊ माधव जावले द्वारा महाराष्ट्र और गोवा में 4.4.2000 से पूर्व नियुक्त विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं को नेट/सेट परीक्षा की अनिवार्य शर्त से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री हंसराज जी० अहीर द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सुनील खां द्वारा पूर्व रेलवे के सियालदाह और हावड़ा मंडलों में एक्सप्रेस/मेल रेल गाड़ियों के चालकों की सेवा-शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री एन०एन० कृष्णदास द्वारा केरल में पालककड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ-बैरली मंडल में रेल फाटक संख्या 122 सी पर ऊपरि-पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा देश के किसानों को बीज और रासायनिक उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री घूरन राम द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सिंचाई हेतु तीन फेज के विद्युत की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (17) श्री इलियास आजमी द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला स्थित ऐतिहासिक स्थल 'गोपमाऊ' के पुनरुद्धार हेतु सर्वेक्षण करने और उपाय सुझाने हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री डॉ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु में मंदिरों के शहर, तिरुवन्नामलाई की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री सिप्पीपार्ई रविचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के सत्तुर और कोविलपट्टी में रेलगाड़ी सं 2665/2666 का ठहराव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.58 बजे

10. सांविधिक संकल्प — स्वीकृत

लिया गया समय: 3 घंटे 45 मिनट

श्री शिवराज विं पाटील ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 2007 को जारी घोषणा का अनुमोदन करती है।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार
2. श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा
3. श्री वरकला राधाकृष्णन
4. श्री मोहन सिंह
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री अजय चक्रवर्ती
7. श्री प्रह्लाद जोशी
8. श्री एन० वाई० हनुमनथप्पा
9. श्री रमेश चन्द्रप्पा जीगजीणगी
10. श्री आर० एल० जलप्पा
11. श्री जी० करुणाकर रेड्डी

12. श्री मंजुनाथ कुनुर

13. श्री एच० डी० देवगौड़ा

श्री शिवराज वि० पाटिल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

सांयं 5.43 बजे

11. आधे घण्टे की चर्चा

श्री अविनाश राय ने 'विदेश में रहने वाले भारतीयों को बीजा और पासपोर्ट जारी न किए जाने' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 487 के विदेश मंत्री द्वारा 9.5.2007 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा उठाई।

श्री आनन्द शर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया।

सांयं 6.13 बजे

12. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 34 मिनट

संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006

श्री पी० चिदंबरम द्वारा 23 नवम्बर, 2007 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री थावर चन्द गेहलोत
2. श्री एस० के० खारवेनथन
3. श्री वरकला राधाकृष्णन
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. डॉ टोकचोम मैन्या
6. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी

श्री पी० चिदंबरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुए।

खण्ड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 7 से 11, यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 से 16 स्वीकृत हुए।

खण्ड 17 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 22 स्वीकृत हुए।

खण्ड 23 से 25, यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

खण्ड 26 और 27 स्वीकृत हुए।

खण्ड 28 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 से 33 स्वीकृत हुए।

खण्ड 34, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35 से 37 स्वीकृत हुए।

खण्ड 38 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदंबरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सांयं 7.21 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 27 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 28 नवम्बर, 2007/7 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 268

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181, 182, 183, 184, 185, 186 और 191 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 187, 188, 189, 189, 190 और 192—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1616—1771 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) टैरिफ अथोरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टैरिफ अथोरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नॉर्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (15) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पंचायती राज अधियान में युवा - एक प्रतिवेदन
- (दो) दक्षिण क्रांति (दक्षिण भारत में स्वतंत्रता संग्राम)
- (18) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियम, 2007, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 22 के अंतर्गत 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डा 698(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) संविधान के अनुच्छेद 323(11) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।
- (20) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1383(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1583(अ) जो 10 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हवेरी-हुबली

खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (तीन) का०आ० 1452(अ) जो 23 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबगल-कोलार-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 1590(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (कोटा बाईपास खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 1817(अ) से का०आ० 1820(अ) जो 25 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छह) का०आ० 1828(अ) जो 26 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 602(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का०आ० 1464(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जीरकपुर-परवानू खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 1465(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 86(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का०आ० 1429(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6

(संबलपुर-रायपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (दस) का०आ० 1427(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 1733(अ) जो 11 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) का०आ० 1766(अ) जो 17 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के विभिन्न खण्डों (खालघाट-मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 1315(अ) से का०आ० 1318(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के विभिन्न खण्डों (खालघाट-मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 1567(अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 22 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 1209(अ) जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 1829(अ) जो 26 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालबाड़ी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने,

आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (सत्रह) का०आ० 1830(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जागीरोड-ठेकेरागुरी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 1535(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।
- (उन्नीस) का०आ० 1578(अ) जो 20 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हसन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 1835(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हसन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (21) उपर्युक्त (20) की मद सं० (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1735 (अ) जो 11 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(दो) कांआ० 1737 (अ) जो 11 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या कांआ० 1533 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) कांआ० 1736 (अ) जो 11 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दमण, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 27 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 27 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 सितम्बर, 2007 को पारित वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह ने सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति (2007-08) के 14वें और 15वें (की-गई-कार्यवाही) प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

8. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रूपचंद पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 21वां प्रतिवेदन—अवसंरचना और प्रचालनात्मक सुविधाओं की समीक्षा; और

(2) कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने सुश्री तस्लीमा नसरीन के भारत में ठहरने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(एक) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 169वें, 185वें, 190वें और 195वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

*10. सदस्यों द्वारा निवेदन

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के उपयोग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री ए० कृष्णास्वामी ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के उपयोग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री एस०के० खारवेनथन, श्री कौ० सुब्बागायण, डा० आर० सेनथिल, श्री ए०वी० बेल्लारमिन, श्री सिपीपारई रविचंद्रन, डा० सी० कृष्णा और श्री पी० मोहन भी सहयोजित हुए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

*अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 12.53 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.53 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्ताव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री रघुवीर सिंह कौशल द्वारा देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त मोबाइल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री शिशुपाल एन० पटले द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिलों में बीड़ी कर्मकारों के लिए पर्याप्त मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री राकेश सिंह ठाकुर द्वारा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें सीधे तौर पर राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले में चांदिया बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अनन्त नायक द्वारा उड़ीसा के पनीकोईली से राजामुंडा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग-215 के खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डा० बाबू राव मिडियम द्वारा राज्यों में जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की निगरानी करने के लिए नोडल एंजेंसी को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पी० मोहन द्वारा धान उत्पादक क्षेत्रों में खरीद केन्द्रों को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रामजीलाल सुमन द्वारा आगरा हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानी, पंडित परमानन्द के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री राम कृपाल यादव द्वारा पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री बी० विनोद कुमार द्वारा आंध्र प्रदेश में भद्राचलम-कोवूर और मानुगुरु-रामागुंडम सम्पर्क रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री एम० शिवन्ना द्वारा कन्ड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.54 बजे

12. अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) 2007-2008 और अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) -2004-2006

आवंटित समय :	4 घंटे
लिया गया समय :	1 घंटा 44 मिनट
शेष :	2 घंटे 16 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदों पर एक साथ चर्चा की गई—

(एक) वर्ष 2007-08 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) सं० 1 से 3, 5, 9 से 12, 14, 17 से 19, 31 से 33, 35, 46, 51, 52, 56 से 59, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 78, 80, 86, 87, 90, 91, 93, 99, 100 और 102.

(दो) वर्ष 2005-06 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) सं० 8, 14, 25, 61, 96 और 99.

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कौ० एस० राव
 2. श्री पी० करुणाकरन
 3. श्री रामजीलाल सुमन
 4. *श्री एम० शिवन्ना
 5. श्री सी० कौ० चन्द्रप्पन
 6. श्री विजय कृष्ण
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखा।

अपराह्न 2.00 बजे

13. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 6 घंटे 33 मिनट

अध्यक्ष ने सभा को बताया कि श्री पी० करुणाकरन, जिन्हें भारत-अमरीका परमाणु समझौता के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करनी थी, ने उनसे अनुरोध किया है कि उनकी ओर से श्री रूपचंद पाल को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए और उनके अनुरोध को मान लिया गया।

तदनुसार श्री रूपचंद पाल ने चर्चा शुरू की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

- (1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी
- (2) श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
- (3) प्रौ० रामगोपाल यादव
- (4) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
- (5) श्री ब्रजेश पाठक
- (6) श्री के० वैंकटपति
- **(7) श्री मोहन रावले
- (8) श्री भर्तृहरि महताब
- (9) श्री सचिन पायलट
- (10) श्री सी० के० चन्द्रप्पन
- (11) श्री उदय सिंह
- (12) श्री राजीव रंजन 'ललन' सिंह
- (13) प्रौ० एम० रामदास
- (14) श्री एल० गणेशन
- (15) श्री एम०ए० खारबेल स्वाइं
- *(16) श्री डी० के० आदिकेसावुलु
- (17) डा० सी० कृष्णन
- (18) श्री निखिल कुमार

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखा।

- (19) श्री एम० शिवना
 - (20) श्री लक्ष्मण सिंह
 - (21) श्री तरित बरण तोपदार
 - (22) श्री नवीन जिन्दल
 - (23) श्री सुब्रत बोस
 - (24) श्री फ्रांसिस फैन्थम
 - (25) श्री सनत कुमार मंडल
 - (26) श्रीमती बोत्चा झांसी लक्ष्मी
 - (27) डा० अरुण कुमार शर्मा
 - (28) डा० सिवेस्टियन पॉल
 - (29) श्री असादूद्दीन ओवेसी
 - (30) श्री गणेश सिंह
 - (31) श्री पी० सी० थॉमस
 - (32) श्री एस०के० खारवेनथन
 - (33) श्री रामदास आठवले
 - (34) श्री तथागत सत्पथी
 - (35) श्री राम कृपाल यादव
- श्री प्रणव मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
चर्चा पूरी हुई

\$13. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रात्रि 8.34 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 29 नवम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

\$सायं 6.00 बजे।

MGIPMRND—4965LS(S-5)—28-11-2007.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 नवम्बर, 2007/8 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 269

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 202, 203, 205, 206, 208 और 209 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 201, 204, 207 और 210—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1772—2001 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के सातवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (क) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) हजीरा क्षेत्र के रूप में चिह्नांकित संविदा क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार और गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लिमिटेड, इंडिया और निको रिसोर्सेज, कनाडा के बीच उत्पादन साझेदारी संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) एमपी० अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एमपी० अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—
- (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।
- (चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।
- (पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग एण्ड न्यूट्रिशन (सोसाइटी), गुरदासपुर।
- (छः) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर।
- (सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

- (आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हाजीपुर।
- (नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।
- (दस) डा० अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।
- (यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।
- (बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।
- (तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता।
- (चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, अलीगंज, लखनऊ।
- (पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।
- (सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई।
- (सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।
- (अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग।
- (उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, शिमला।
- (बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।
- (इक्कीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।
- (12) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉज़िम एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉफिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जनरल मैनेजमेंट, एण्ट्री फॉर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) विनियम, 2007, जो 18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एएआई/लीगल/जीएचआरईजी/2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) (एक) राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) यह विवरण कि ईपीआई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन में लेखापरीक्षकों/नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों की संबोधका सरकार द्वारा की गई है।
- (तीन) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 28 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 नवम्बर, 2007 को पारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा ने 28 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में सशस्त्र सीमा बल विधेयक को पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री राजेश वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 30 अगस्त, 2007 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) अल्पसंख्यक मामले मंत्री ने अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम’ (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 9वें और 18वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्री और इस्पात मंत्री की ओर से इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (तीन) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों के मांगों (2007-2008) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 201वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (चार) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित “राष्ट्रीय पिछ़ावा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीएफडीसी)” के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (छह) रसायन और उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (सात) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने “रेलवे से कर्मचारियों का पलायन” के बारे में (एक) श्रीमती करुणा शुक्ला, संसद सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 603 के 17 मई, 2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने; तथा, (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य दिया।
8. लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव श्री इकबाल अहमद सरड़ी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—
- “कि यह सभा लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा बजट सत्र, 2008 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।”
- प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

9. प्रस्ताव

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

“कि यह सभा 28 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.18 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री रामजी लाल सुमन ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.28 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 1.03 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाये जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा जयपुर के मालवीय इंजीनियरिंग कालेज का उन्नयन कर उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर पर लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के मरम्मत कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा देश में ट्रेवल एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए एक विधान लाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

4. श्री राम लखन सिंह द्वारा ग्वालियर और भोगांव के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 92 के मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. प्रो० महादेवराव शिवनकर द्वारा महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड की बेसरू और नांदेड़ इकाइयों में कोयला उत्पादन शुरू कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. डॉ केण्ट० मनोज द्वारा केरल में स्वतंत्रता संग्राम के जीवित सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री रघुराज सिंह शास्य द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री गिरधारी लाल यादव द्वारा सरकारी विभागों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण के अपेक्षित कोटे को सुनिश्चित कराने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री चन्द्रकांत बी० खैरे द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रिन्युवल मिशन के अधीन औरंगाबाद को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री सुग्रीव सिंह द्वारा उड़ीसा में खुर्दा/रोड़-बोलंगीर रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री प्रबोध पांडा द्वारा धान के लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और किसानों से सीधे धान की खरीद करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री मुंशी राम द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित शेष भूमि को आर्बंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री पी०सी० थामस द्वारा देश में गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता देने हेतु पृथक कोष सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.04 बजे

12. अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 2007-2008 और अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)-2005-2006

लिया गया समय: 3 घंटे 45 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मर्दों पर सामूहिक चर्चा जारी रही:—

(एक) वर्ष 2007-08 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) सं० 1 से 3, 5, 9, से 12, 14, 17 से 19, 31, से 33, 35, 46, 51, 52, 56 से 59, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 78, 80, 86, 87, 90, 91, 93, 99, 100 और 102।

(दो) वर्ष 2005-2006 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) सं 8, 14, 25, 61, 96 और 99।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर चौधरी
2. श्री बिक्रम केशरी देव
3. श्री सुधांशु सील
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्रीमती बोत्वा झांसी लक्ष्मी
6. डा० राम कृष्ण कुसमरिया
- *7. श्री अविनाश राय खन्ना
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री आलोक कुमार मेहता
10. श्री के० फ्रांसिस जार्ज
- **11. श्री एस०क० खारवेनथन
12. श्री हरिभाऊ राठौड़
- *13. श्री वीरेन्द्र कुमार
14. प्रो० एम० रामदास
15. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
- *16. श्री सुखदेव पासवान
17. श्री हरिभाऊ माधव जावले
- *18. श्री हंसराज जी० अहीर
- *19. श्री गणेश सिंह

श्री पी० चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 1 से 3, 5, 9, से 12, 14, 17 से 19, 31, से 33, 35, 46, 51, 52, 56 से 59, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 78, 80, 86, 87, 90, 91, 93, 99, 100

*लिखित भाषण सभा पट्टल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पट्टल पर भी रखे।

और 102 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2007–2008 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अनुदानों की सभी अतिरिक्त मांगें (सामान्य) संख्या 8, 14, 25, 61, 96 और 99 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2005–2006 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

13. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2007

14. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2007

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

15. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2007

16. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2007

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपग्रहन 3.25 बजे

17. अनुदानों की अनुपूरक माँगे (रेल) — 2007-2008

लिया गया समयः 5 घंटे 26 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा की गई:—

(एक) अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेल) — 2007-2008

(दो) रेल अभिसमय समिति (2004) के छठे प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुमोदन
संबंधी संकल्प।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

- *1. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
- 2. श्री जय प्रकाश (हिसार)
- 3. श्री एन० एन० कृष्णदास
- *4. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी
- 5. श्री शैलेन्द्र कुमार
- 6. श्री राम कृपाल यादव
- *7. श्री ए० के० एस० विजयन
- *8. श्री गणेश सिंह
- *9. श्री सांताश्री चटर्जी
- *10. श्री भंवर सिंह डांगावास
- *11. श्री रघुनाथ झा
- 12. श्री मित्रसेन यादव
- *13. श्री कीरेन रिजीजू
- *14. श्री हरिकेवल प्रसाद
- 15. श्री के० सी० पल्लानी शामी
- 16. श्री चंद्रकांत खैरे
- *17. श्री ए० साई प्रताप
- 18. श्री ब्रह्मानंद पंडा

*लिखित भाषण सभा पट्टल पर रखे गए।

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पट्टल पर भी रखे।

- 19. श्री प्रह्लाद जोशी
- 20. श्री प्रबोध पाण्डा
- *21. श्री खगेन दास
- *22. श्री एस० मल्लिकार्जुनैया
- **23. श्री संतोष गंगवार
- 24. चौधरी विजेन्द्र सिंह
- *25. श्री चन्द्र भान सिंह
- 26. श्री सुधांशु सील
- *27. श्री मुन्शी राम
- 28. प्रो० एम० रामदास
- 29. श्री अफज़ाल अंसारी
- 30. श्री रमेश ठुबे
- *31. श्री ए० कृष्णास्वामी
- 32. श्री किशन सिंह सांगवान
- *33. श्री हंसराज गं० अहीर
- *34. श्री पी० करुणाकरन
- **35. श्री देवब्रत सिंह
- 36. श्रीमती जयप्रदा
- *37. श्री भर्तुहरि महताब
- *38. श्री रामजीलाल सुमन
- *39. श्री ए० वी० बेल्लारमिन
- 40. डा० सी० कृष्णन
- 41. डा० आर० सेनथिल
- *42. श्री पी० मोहन
- *43. श्री सिप्पीपारई रविचंद्रन
- 44. श्री अविनाश राय खन्ना
- *45. श्री ब्रह्मानंद पंडा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

* *उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

- 46. श्रीमती अर्चना नायक
- *47. श्री घुरन राम
- 48. श्री ए० आर० शाहीन
- *49. श्री जे० एम० आरुन रशीद
- 50. श्रीमती के० रानी
- 51. श्री पी० रवीन्द्रन
- 52. श्री अबु अयोश मंडल
- **53. प्रो० रासा सिंह रावत
- 54. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी
- **55. श्री तापिर गाव
- *56. श्री गणेश प्रसाद सिंह
- *57. श्री सीताराम यादव
- **58. श्री एस० के० खारवेनथन
- **59. श्री बिक्रम केशरी देव
- **60. श्री एम० शिवन्ना
- 61. श्री हरिभाऊ राठौड़
- **62. श्री शंखलाल माझी
- *63. श्री जी० करुणाकर रेड्डी
- 64. श्री नन्द कुमार साय
- *65. श्री रामदास आठवले
- *66. श्री मनोरंजन भक्त
- *67. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उफ साधु यादव
- *68. श्री दलपत सिंह परस्ते
- *69. श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील
- *70. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
- *71. श्री श्रीपाद येसो नाईक
- *72. श्री विजय कृष्ण

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

* *उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

श्री लालू प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

श्री लालू प्रसाद द्वारा निम्नलिखित संकल्प पेश किया गया, जो स्वीकृत हुआ:—

“कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व, आदि को संदेश लाभांश की दर की समीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति (2004) के छठे प्रतिवेदन जिसे 26 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।”

18. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2007

19. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2007

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री लालू प्रसाद द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.51 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007 को पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पौ॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007/09 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 270

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. माननीय उपाध्यक्ष द्वारा उल्लेख

माननीय उपाध्यक्ष ने 29 नवम्बर, 2007 को छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में बारूदी सुंग विस्फोट में सेकेण्ड मिजोरम पुलिस बटालियन के 10 जवानों सहित 12 लोगों की मृत्यु हो जाने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—224 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 225 — 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2002—2209 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि (निधि के गठन और उपयोजन की रीति) तथा बजट तैयार करने का स्वरूप और समय नियम, 2007, जो

22 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं° सांकाणि° 675(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2007, जो 22 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि° 676(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) नियम, 2007, जो 1 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (क) (एक) रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अधीन जारी अधिसूचना सं साकानि 692(अ), जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पेंशन में कटौती करने के लिए अनुशासनिक शक्तियों की शास्ति के प्रत्यायोजन तथा प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अतंगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2007, जो 7 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1374(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2007, जो 30 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1484(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2007, जो 16 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1762(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (चार) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2007, जो 23 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1805(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (पांच) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2007, जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1895(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (छह) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2007, जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1896(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अधीन धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2007, जो 7 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 1375(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (14) (एक) ट्राईबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ट्राईबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16)(एक) नेशनल सेन्टर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेन्टर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉफिकल मिटीयोरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉफिकल मिटीयोरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, मानेसर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, मानेसर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल), बुलंदशहर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल), बुलंदशहर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसार्सेज एण्ड स्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसार्सेज एण्ड स्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) (एक) सेन्टर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30)(एक) इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32)(एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33)(एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) (एक) इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 548(अ) जो 14 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 14 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 450(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन रिस्युवेबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रिस्युवेबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (37) इंडियन रिस्युवेबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) सेन्टर फॉर विंड एनर्जी टेक्नॉलोजी, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर विंड एनर्जी टेक्नॉलोजी, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40)(एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41)(एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकानौमिक चैंज, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकानौमिक चैंज, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42)(एक) सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43)(एक) नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44)(एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 के खण्ड 21 के उपखण्ड (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) “जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव” के सम्मान में पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 31 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 684(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) “भारतीय वायु सेना की प्लैटिनम जुबली (1932-2007)” के अवसर के स्मरण हेतु एक सौ रुपए तथा दो सौ रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 585(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) “नृत्य मुद्रा” विषय पर एक रुपए का फेरीटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 15 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 659(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (46) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 661(अ) जो 15 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सिक्कों के गुणक, विमा, डिजायन और संरचना का अवधारण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाण्डि 721(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य तथा थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 8 अक्टूबर, 2008 सहित इस तारीख तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकाण्ठि 680(अ) जो 26 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003-सीज्यू में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकाण्ठि 681(अ) जो 26 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 96/2005-सीज्यू को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकाण्ठि 683(अ) जो 30 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय स्विट्जरलैंड तथा चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले विटामिन-ए पाल्मिटेर (विटामिन-ए पाल्मिटेर 1.6 एमआईयू/ग्राम को छोड़कर) के भारत में आयात पर अंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) भारत गणराज्य तथा चिली गणराज्य के बीच अधिमानी व्यापार करार के अंतर्गत माल के उद्गम का अवधारण नियम, 2007 जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1426(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (49) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 581(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) सांकाण्ठि 602(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 19/2004-के०उ०ज्य०(गै०५१) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत, सांकाण्ठि 642(अ) जो 4 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सेनेट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 579(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सेनेट क्रेडिट (दसवां संशोधन) नियम, 2007 जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 709(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकाणि० 691(अ) जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विनिर्मित अथवा खरीद किए गए और भारतीय नौसेना अथवा तटरक्षक बल के पोत पर उपभोग हेतु स्टोर के रूप में आपूर्ति किए गए ईंधनों पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (50) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 580(अ), जो 11 सितम्बर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्मित तथा 21.2.2007 से 26.2.2007 के दौरान घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किए गए मदर बोर्ड के अतिरिक्त, कम्प्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर; फ्लापी डिस्क ड्राइव; हार्ड डिस्क ड्राइव; सीडी-आरओएम ड्राइव; डीवीडी ड्राइव; यूएसबी फ्लैश मेमोरी; कॉम्बो ड्राइव; सेल्युलर फोन; और रेडियो ट्रॉकिंग टर्मिनल्स को उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (51) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1474(अ) जो 29 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा इसका शुद्धिपत्र, जो 10 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1512(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 1475(अ) जो 29 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय

विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) का०आ० 1595(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयाति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का० आ० 1596(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्याति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा इसका शुद्धिपत्र, जो 29 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1842(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का० आ० 1839(अ) जो 26 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित तथा निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का० आ० 1486(अ) जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(गै०३०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सीमा-शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का अवधारण) नियम, 2007 जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 592(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सीमा-शुल्क मूल्यांकन (निर्यात माल के मूल्य का अवधारण) नियम, 2007 जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 593(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सा० का० नि० 1557(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(गै०टै०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा० का० नि० 1699(अ) जो 4 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(गै०टै०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) का० आ० 1755(अ) जो 15 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(गै०टै०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (52) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ग) (एक) यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (घ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) यूनाईटेड इंडियन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाईटेड इंडियन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (53) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में संबद्ध व्यक्तियों का प्रमाणन) विनियम, 2007 जो 17 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फार्म्सँ 11/एलसी/जीएल/2007/4567 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 31 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फार्म्सँ 11/एलसी/जीएल/2007/4646 में प्रकाशित हुए थे।
- (54) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) दूसरा संशोधन नियम, 2007 जो 21 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1444(अ) में प्रकाशित थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत पल्लवन ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2007 जो 21 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएचबीके/82/2000-01 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (56) वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 94, 95 और 113 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकेतिक 591(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 अक्टूबर, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम की कतिपय धाराओं के उपबंध प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2007 तक के कार्यनिष्ठादान की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

कि राज्य सभा 29 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2007 को पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) “निर्माण कार्य का अनियमित ठेका प्रदान करना” के बारे में 60वां प्रतिवेदन।
- (2) “दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (2004-2005) पर अधिशेष” के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री किशन सिंह सांगवान ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में कार्यरत दैनिक मजदूरों को अन्य नैमित्तिक कर्मकारों के समतुल्य मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु अस्थायी दर्जा दिए जाने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की याचिका के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) से संबंधित 32वां प्रतिवेदन।
- (2) महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा उड़ीसा सरकार की पुनर्वास नीति, 1989 का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के बारे में श्री धर्मेन्द्र प्रधान, संसद सदस्य की याचिका के संबंध में कोयला मंत्रालय से संबंधित 33वां प्रतिवेदन।
- (3) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, राजस्थान के स्वैच्छिक-सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत

कर्मचारियों को 1.1.1992 से 31.12.1998 की अवधि तक का वेतन पुनरीक्षण बकाया राशि का भुगतान किए जाने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की याचिका के संबंध में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित 34वां प्रतिवेदन।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पाण्डा ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 33वां प्रतिवेदन;
- (2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 34वां प्रतिवेदन;
- (3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 35वां प्रतिवेदन; और
- (4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने ‘हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाओं की कार्य दशा’ विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा परिल पर रखा।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) शहरी विकास मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों

(2007–08) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (2) वित्त मंत्री ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 41वें, 42वें, 46वें और 52वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथक्षी विज्ञान मंत्री की ओर से रसायन और उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पृथक्षी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (5) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (6) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (7) विदेश मंत्री ने हिन्दू राइट्स एक्शन फोर्स (एचआईएनडीआरएफ) द्वारा 25 नवम्बर, 2007 को कुआलालम्पुर में आयोजित रैली में भाग लेने वालों को कथित रूप से परेशान किए जाने तथा तदनन्तर संबंधित मामलों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 2.39 बजे।

**(8) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.07 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बोलंगीर उड़ीसा की आयुध निर्माणी से गोला बारूद ले जा रहे दो रेल वैगनों के गायब होने के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने बोलंगीर उड़ीसा की आयुध निर्माणी से गोला बारूद ले जा रहे दो रेल वैगनों के गायब होने के बारे में निवेदन किए:—

(1) श्री बृज किशोर त्रिपाठी

(2) श्री भर्तृहरि महताब

(3) श्री प्रसन्न आचार्य

श्री सुग्रीव सिंह, श्री मोहन जेना और श्रीमती अर्चना नायक सहयोजित हुए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

(दो) श्री गुरुदास दासगुप्त ने संसद की बैठकों की संख्या में लगातार कठौती के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

(तीन) श्री हन्नान मोल्लाह ने दूरदर्शन में कथित अनियमितताओं और कदाचार के संबंध में सीधी आई जाँच कराए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.05 बजे पुनःसमवेत हुई)

अपराह्न 2.05 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

(1) प्रौढ़ रासा सिंह रावत ने अजमेर, राजस्थान में अन्ना सागर झील और पुष्कर सरोवर की गाद निकालने तथा उनके सौंदर्यीकरण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यान्वयन किए जाने के लिए प्रस्तावित सौर ऊर्जा योजनाओं हेतु केन्द्रीय राजसहायता जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

**अपराह्न 3.06 बजे।

- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्री मोहन जैना ने चण्डीखोल क्रॉसिंग, उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 और राष्ट्रीय राजमार्ग-5क पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्री एम० अप्पादुरई ने तमिलनाडु में तुतीकोरिन और तिरुनेलवेली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को शीघ्र चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) डा० अरुण कुमार शर्मा ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी से हुए नुकसान को न्यूनतम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, श्री संतोष गंगवार ने बरेली, उत्तर प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामले संबंधी विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.17 बजे

13. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

- (एक) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007
 (दो) संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुच्छेद 244 और 332 का संशोधन)

अपराह्न 2.18 बजे

14. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 19 मिनट

भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री अश्वनी कुमार द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हरिभाऊ राठौड़
2. श्री नवीन जिन्दल
3. श्रीमती सी०एस० सुजाता
4. श्री मोहन सिंह
5. श्री गणेश प्रसाद सिंह

6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
8. श्री केंपस० राव
9. श्री के० फांसिस जॉर्ज
10. श्री टी०के० हमज़ा
11. श्री शैलेन्द्र कुमार

श्री अश्विनी कुमार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 30 स्वीकृत हुआ।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अश्विनी कुमार ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.37 बजे

15. प्रस्ताव

श्री जयप्रकाश (हिसार) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 28 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.38 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — पुरःस्थापित

(एक) श्री एल० राजगोपाल का विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2007

(दो) श्री एल० राजगोपाल का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

(तीन) श्री एल० राजगोपाल का जाति या धार्मिक अभिधान के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2007

- (चार) श्री एल० राजगोपाल का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विजयवाड़ा) में एक स्थायी न्यायपाठ की स्थापना) विधेयक, 2007
- (पांच) श्री आलोक कुमार मेहता का राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2007
- (छह) श्री हंसराज गं० अहीर का विस्थापित कृषक (पुनर्वास और अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2007
- (सात) श्री हंसराज गं० अहीर का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)
- (आठ) श्री हंसराज गं० अहीर का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)
- (नौ) सैयद शाह नवाज हुसैन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (दस) श्री तापिर गाव का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)
- (ग्यारह) डा० आर० सेनथिल का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007 (धारा 129 का संशोधन)
- (बारह) डा० आर० सेनथिल का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)
- (तेरह) श्री मोहन सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (नए अनुच्छेद 24क का अंतःस्थापन)

अपराह्न 3.47 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापस लिया गया

- (एक) श्री मोहन सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)।

श्री मोहन सिंह द्वारा 24 अगस्त, 2007 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री किरेन रिजीजू
2. श्री के० एस० राव
3. श्रीमती अर्चना नायक
4. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी

5. श्री देवब्रत सिंह
6. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
7. श्री ऑस्कर फर्नांडीस

श्री मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

अपराह्न 4.53 बजे

(दो) श्री मोहन सिंह का अंतरराज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005
श्री मोहन सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लक्ष्मण सिंह
2. श्री एस० के० खारबेनथन
3. प्रो० रासा सिंह रावत
4. प्रो० सैफुद्दीन सोज़

श्री मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

सायं 5.41 बजे

18. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

श्री सी०के० चन्द्रप्पन का निर्वाचक सुधार आयोग विधेयक, 2006

श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुई।

श्री के० एस० राव ने भी वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।
चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा शनिवार, 1 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शनिवार, 1 दिसम्बर, 2007/10 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 271

पूर्वाह्न 11.05 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री टीए पाटिल और आठवीं, नवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री चन्नैय्या ओडेयार के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 30 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 को पारित कर दिया है।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007

5. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा ने “आमान परिवर्तन और नई रेललाइन परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन पद्धति” विषय पर लोक लेखा समिति (2007-2008) का 61वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रविन्द्र कुमार राणा ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बनलाल जावमा ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति प्रस्तुत की:—

- (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित “केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश और रोजगार में आरक्षण सहित सेवाओं में आरक्षण” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) से संबंधित “सिंडीकेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं” के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

8. रेल अभिसमय समिति के विवरण

श्री रघुनाथ झा ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “विद्यमान मार्गों पर भार कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के विकास” के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर

सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के छठे प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अंतिम उत्तर।

- (2) “सामरिक महत्व के आधार पर कोलायत और फलौदी के बीच नई बड़ी लाइन का निर्माण” के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के सातवें प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अंतिम उत्तर।

*9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 3 दिसम्बर, 2007 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाहन 11.14 बजे

10. ध्यानाकर्षण

श्री हंसराज जी० अहीर ने भूजल स्तर में गिरावट आने तथा इसके फलस्वरूप देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पूर्वाहन 11.50 बजे

11. ध्यानाकर्षण का स्थगन

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, डॉ चिन्ता मोहन और अन्य सदस्यों द्वारा देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में आज की पुनरीक्षित कार्य-सूची में क्रम संख्या 9 में सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित किए जाने के कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं मैंने इसे 5 दिसम्बर, 2007 को लिए जाने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। मैं उपस्थित माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं जो प्रस्ताव को लिए जाने के लिए

*पूर्वाहन 11.51 बजे

सहमत हैं। लेकिन यह ऐसा विषय है जिस पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। अतः इसे 5 दिसम्बर, 2007 को लिया जाएगा।”

*पूर्वाह्न 11.57 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

फिल्म ‘आ जा नचले’ पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने फिल्म ‘आ जा नचले’ पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री रामदास आठवले
2. श्री मोहम्मद सलीम
- श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.33 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 9 मिनट

सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री शिवराज विं पाटील द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री तापिर गाव
2. श्री निखिल कुमार
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गणेश प्रसाद सिंह
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री सीं कौं चन्द्रप्पन
7. श्री अब्दुल रशीद शाहीन
8. प्रो० रासा सिंह रावत
9. श्री देवब्रत सिंह

*पूर्वाह्न 11.57 बजे से अपराह्न 12.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

10. श्री के० फ्रांसिस जार्ज
11. डा० सिबैस्टियन पॉल
12. श्री बिक्रम केशरी देव
13. श्री विजय बहुगुणा
14. डा० एच० टी० संगलियाना
15. श्री एस० के० खारवेनथन
16. श्री नन्द कुमार साई
17. श्री राम कृपाल यादव

श्री शिवराज वि० पाटील ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 156 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शिवराज वि० पाटील ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*14. नियम 193 के अधीन चर्चा—स्थगित

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा उनके नाम के सामने सूचीबद्ध आंतरिक सुरक्षा के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा को 5 दिसम्बर, 2007 तक स्थगित किये जाने के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष ने सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए चर्चा को 5 दिसम्बर, 2007 को लिए जाने के लिए स्थगित कर दिया है।

अपराह्न 2.42 बजे

(लोक सभा सोमवार, 3 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*पूर्वाह्न 11.12 बजे

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2007/12 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 272

पूर्वाहन 11.02 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241, 243, 244, 245, 246, 248, 249 और 252 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 242, 247, 250, 251 और 253—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2210—2439 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन छावनी निर्वाचक नियम, 2007 जो 21 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 5(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) छावनी बोर्ड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वाटर एण्ड पावर कंसलेटेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) वाटर एण्ड पावर कंसलेटेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (8) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जेनेवा में जून, 2006 में हुए अपने 95वें सत्र में स्वीकृत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संवर्धनात्मक ढांचा से संबंधित अभिसमय सं^o 187 और सिफारिश सं^o 197 के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) टेलीकॉम रेयुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेलीकॉम रेयुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) आईटीआई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (13) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएमएमईआर), मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएमएमईआर), मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेन्टर फॉर मैट्रियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर मैट्रियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) एसेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि सं 505(अ) जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित मशीनों को खतरनाक मशीन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत खतरनाक मशीन (विनियमन) नियम, 2007 जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं 506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (20) और (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मस राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मस राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत फलों और सब्जियों के श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2007 जो 12 अगस्त, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 171 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) नेशनल सीडीस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल सीडीस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (30) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) संशोधन विनियमन, 2007, जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 690 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग के लिए भर्ती) संशोधन विनियमन, 2007, जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 718(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) (संशोधन) विनियमन, 2007 जो 6 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (31) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विनियमन, 2007, जो 24 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विनियमन, 2007, जो 24 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड निधि, लेखाओं और बजट का प्रबंधन (संशोधन) विनियमन, 2007 जो 5 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।
- (32) (एक) बूल एण्ड बूलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बूल एण्ड बूलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) सेन्ट्रल बूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल बूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) बॉम्बे टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बॉम्बे टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) (एक) साऊथ इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साऊथ इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) टेक्सटाईल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्सटाईल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) ऐप्परल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऐप्परल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) कॉटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कॉटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (42) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2007 जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सांकानिा 632(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (44) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेन्टर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) सरदार बल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार बल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (48) (एक) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (52) उपर्युक्त (51) में डिल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 699(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 697(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(54) (एक) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2007 को पारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2007 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2007 को पारित विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2007 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2007 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2007 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रूपचन्द्र पाल ने “गेल (इंडिया) लिमिटेड—एक व्यापक जांच” संबंधी 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने “असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007” के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

8. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुधांशु सील ने निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

- (1) ‘दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)’ के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) ‘शहरी विकास मंत्रालय के अनुदानों की मांगें (2006-2007)’ के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 18वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) ‘आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2006-2007)’ के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 19वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री एन० जर्नादन रेड्डी ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय 1 और अध्याय 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

- (1) ‘पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण’ के छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

- (2) 'कोल बेड मीथेन सहित तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाना' के बारे में 7वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);
- (3) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2006-2007)' के बारे में 9वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

10. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना' विषय पर समिति के छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2007-08) का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2005-06) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2006-07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2006-07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (4) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (5) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.10 बजे

12. ध्यानाकर्षण

श्री अजय चक्रवर्ती ने 24 नवम्बर, 2007 को ऑल आदिवासी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ असम (एएसएए) द्वारा प्रदर्शन के दौरान और तत्पश्चात् हुई हिंसा से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

*13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- (1) श्री वी॰ के॰ ठुमर द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा द्वारा महिलाओं में एड्स की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन द्वारा न्यायालयों में मामलों की लंबितता को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हरित प्रदेश नामक नए राज्य को बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराह्न 2.54 बजे

- (5) श्री भंवर सिंह डांगावास द्वारा राजस्थान के नागौर में कोल बेड मिथेन के उपयोग से बिजली बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा उत्तराखण्ड में गुरिल्ला युद्ध में सशस्त्र सीमा बल के द्वारा प्रशिक्षित किए गए स्वयंसेवकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा मध्य प्रदेश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में 'अंगिका' भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) प्रौ० रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान के अजमेर में पेय जल की आपूर्ति के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री स्वदेश चक्रवर्ती द्वारा विद्रोह रोकने संबंधी जवाबी कार्यवाही में अपनी जान न्यौछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों के आश्रितों को कारगिल के शहीदों के समतुल्य मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की मांगों पर उपयुक्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री चन्द्रपाल सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी में रेल कोच फैक्टरी ('मरम्मत एवं अनुरक्षण इकाई') की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रघुराज सिंह शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा में बसरई स्थित रेलवे फाटक को अन्यत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री राम कृपाल यादव द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत पटना और बोधगया में विकास से जुड़े निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री रमेश दुबे द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील द्वारा महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (17) श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा असम के चाय बागानों में स्थित अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डा० सिबैस्टियन पॉल द्वारा केरल के कोच्चि में काजू बोर्ड मुख्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.29 बजे

14. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समयः 1 घंटा 25 मिनट

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री मुरली देवरा द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कीरेन रिजीजू
2. श्री के० एस० राव
3. श्री रूपचंद पाल
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री तथागत सत्यथी
6. श्री सी० के० चन्द्रप्पन
7. प्रो० रासा सिंह रावत
8. श्री अधीर चौधरी
9. श्री के० फ्रांसिस जॉर्ज
10. श्री रमेश दूबे
11. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
12. डा० एम० जगन्नाथ

श्री मुरली देवरा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 40 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मुरली देवरा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपग्रहन 2.55 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समयः 4 घंटे 06 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त ने राज्य के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता पर चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री खारबेल स्वाई
2. श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव
3. श्री वरकला राधाकृष्णन
4. श्री मोहन सिंह
5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
6. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
7. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
8. श्री प्रसन्न आचार्य
9. डा॰ पी॰ पी॰ कोया
10. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
11. श्री लक्ष्मण सिंह
12. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
13. श्री रामदास आठवले

14. श्री अब्दुल रशीद शाहीन
 15. डा० सिबैस्टियन पॉल (भाषण अपूर्ण रहा)
 चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.30 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 04 दिसम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
 महासचिव।

*सायं 7.01 बजे से सायं 7.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2007/13 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 273

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—264 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 265—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2440—2669 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए —

(1) (एक) इण्डो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (३) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (४) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (५) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (६) (एक) सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (७) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इण्डो-जर्मन टूल रूम, इन्डौर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इण्डो-जर्मन टूल रूम, इन्डौर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) फ्रेगरेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्रेगरेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इण्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इण्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इन्डो-डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इन्डो-डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकेतिक 1881(अ) जो 6 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केबल आपरेटरों द्वारा अपनी केबल सेवा पर पुनः प्रसारण के लिए भारत की संसद द्वारा अथवा भारत की संसद की ओर से प्रचालित तथा उसमें उल्लिखित चैनलों के नाम अधिसूचित किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (24) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 457(अ) जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 36 और नियम 44 को प्रतिस्थापित किया गया है और इसका एक शुद्धिपत्र जो 21 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 561(अ) में प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति।
- (25) उपर्युक्त (24) में डिल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) सत्यजीत रे फ़िल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्यजीत रे फ़िल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (29) (एक) रिपैट्रिप्ट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) राज्यपाल (उपलब्धियां, भर्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी 27 नवम्बर, 2007 का विशेष आदेश संख्या 5/3/07-एम एण्ड जी, जिसके द्वारा राज्यपाल (भर्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-दो के अतिरिक्त व्यय हेतु गोवा के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—
- (1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर संवर्ग (समुह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2007 जो 8 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 647(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर संवर्ग (समुह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2007 जो 8 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (32) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथोरिटी, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथोरिटी, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथोरिटी, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथोरिटी, पोर्ट ब्लोयर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, राज्य मिशन, त्रिपुरा के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान, राज्य मिशन, त्रिपुरा के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2004–05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2004–05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) केरल महिला सामाज्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केरल महिला सामाज्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) उत्तर प्रदेश महिला सामाज्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर प्रदेश महिला सामाज्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) गुजरात महिला सामाज्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गुजरात महिला सामाज्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (56) (एक) डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एण्ड सर्व शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एण्ड सर्व शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पठल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17क के अधीन जारी अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 314 (अ) जो 27 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी के माध्यम से खनन कार्य करने हेतु उड़ीसा राज्य में क्षेत्र के आरक्षण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अधीन गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2007 जो 24 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकेतिक 677(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—
- (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (63) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अधीन 7(7)2006-आईपी प्रारूप अधिसूचना एफ० संख्या जिसके द्वारा 10 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या कांआ० 857(अ) तथा उसमें बाद में किए गए अनुवर्ती संशोधनों को रद्द किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार ईओयूज एण्ड एसईजेड यूनिट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार ईओयूज एण्ड एसईजेड यूनिट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) फूटवियर डिजायन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फूटवियर डिजायन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स प्रोमोशन एक्सपोर्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एम॰एम॰टी॰सी॰ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) पी०ई०सी० लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पी०ई०सी० लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (70) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 12 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 1744(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणि।
- (71) चाय बोर्ड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) इंडियन इंस्ट्र्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्ट्र्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केमिकल्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) (एक) इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्यायम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रबड़ बोर्ड, कोट्यायम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (78) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 (1.1.2006 से 31.3.2007 तक की अवधि के लिए वर्ष 2006-2007 के लिए सामान्य निधि और वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के लिए के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कार्डिसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कार्डिसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) नेशनल इंस्ट्रयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्ट्रयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (83) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंसिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंसिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंसिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंसिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (91) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (99) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रैटिसिशप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीज़न), मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रैटिसिशप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीज़न), मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (104) उपर्युक्त (103) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (105) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में 27 नवम्बर, 2007 को लोक सभा द्वारा पारित बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (दो) कि राज्य सभा ने 3 दिसम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 को पारित कर दिया है।
- (तीन) कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में 23 नवम्बर, 2007 को लोक सभा द्वारा पारित भारतीय टायर कॉरपोरेशन लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (चार) कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में 26 नवम्बर, 2007 को लोक सभा द्वारा पारित संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2007 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (पांच) कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007 को पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक-सभा पटल पर रखे गए

(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007

(दो) सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007

6. 52वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सहभागिता के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने अबुजा (नाइजीरिया) में 1 सितम्बर से 10 सितम्बर, 2006 तक हुए 52वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सहभागिता के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रूपचन्द्र पाल ने “बीमा कंपनियों द्वारा मोबाइल हैंडसेटों के बारे में विशेष आकस्मिक नीतियां” के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन;
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 60वां प्रतिवेदन;
- (3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन;
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 62वां प्रतिवेदन।
- (5) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन;
- (6) ‘नई आयकर विवरणी फार्म शुरू किया जाना’ के बारे में 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 64वां प्रतिवेदन;
- (7) ‘पूँजी बाजार में सुधार प्रक्रिया की प्रभावकारिता हाल ही का आईपीओ घोटला’ के बारे में 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 65वां प्रतिवेदन;

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश दुबे ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।
- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने 'रेल मंत्रालय की 2007-2008 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) वित्त मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) ग्रामीण विकास मंत्री ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

- (तीन) रसायन और उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (चार) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने “भारत रत्न पुरस्कार” के बारे में श्री हंसराज गं. अहीर, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 5313 को 15.5.2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (पांच) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.14 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुरस्थापित

परा चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 2007

अपराह्न 12.17 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने 1 दिसम्बर, 2007 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में टिप्पणी की।

*14. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने टर्माक पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए विमानपत्तनों पर एयरोब्रिजेज की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.51 बजे

15. सरकारी विधेयक—आस्थगित

(एक) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007।

* अपराह्न 12.19 बजे से अपराह्न 12.49 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(दो) संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुच्छेद 244 और 332 का संशोधन)

गृह मंत्री के यह कहने पर कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि विधेयक स्थायी समिति को सौंपे जाते हैं, अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि सरकार की ओर से पुनर्विचार का ध्यान रखते हुए विधेयकों पर विचार किए जाने को आस्थगित किया जा रहा है।

(लोक सभा अपराह्न 12.55 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.04 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्री फ्रांसिस्को सी० सरडिन्हा ने गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के उन्नयन के लिए सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री अनंत नायक ने उड़ीसा में सिलसुआं और बड़बील स्थित अंतर्देशीय विमानपत्तनों का कोटि उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री विक्रम केशरी देव ने धान की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कलाई नगर स्थित पुरातात्त्विक महत्व के स्मारकों का पुरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) डा० के० एस० मनोज ने केरल के मछुआरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्री अजय चक्रवर्ती ने दूरसंचार क्षेत्र में निजी जीएसएम ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आबंटन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) प्रो० एम० रामदास ने भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के बारे में एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्री ए० आर० शाहीन ने जम्मू-कश्मीर में उद्यमपुर-बारामूला रेल लाइन का विस्तार कुपवाड़ा तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री वीरेन्द्र कुमार ने मध्य प्रदेश के सागर में मलथौन से महाराजपुर तक चार लेन वाले एक्सप्रेस राजमार्ग पर वृक्षारोपण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री निखिल कुमार द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले के गोडीहा में ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाईन पर रेलवे हॉल्ट बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री मोहन जेना द्वारा उड़ीसा के जाजपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.22 बजे

17. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 7 घंटे 27 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा राज्य के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता के बारे में 3 दिसम्बर, 2007 को उठाइ गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ सेबेस्टियन पॉल
2. प्रो॰ रासा सिंह रावत
3. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
4. प्रो॰ एम॰ रामदास
5. एडवोकेट सुरेश कुरुप
6. श्री वीरचंद्र पासवान
7. श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार
8. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
- *9. डॉ टोकचोम मैन्या

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*10. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

11. श्री किरिप चालिहा

12. श्रीमती रंजीत रंजन

13. श्री एन०वाई० हनुमनथप्पा

14. श्री मित्रसेन यादव

*15. श्री एम० अप्पादुरई

16. श्रीमती किरण माहेश्वरी

17. श्री ब्रह्मानंद पंडा

18. श्री बिक्रम केशरी देव

*19. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

श्री हंसराज भारद्वाज ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 5.44 बजे

18. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

संस्तुत समयः 2 घंटे

लिया गया समयः 21 मिनट

शेषः 1 घंटा 39 मिनट

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 राज्य सभा द्वारा यथापारित।

श्री अर्जुन सिंह की ओर से श्रीमती डॉ पुरन्देश्वरी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गणेश सिंह

2. श्री अधीर चौधरी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*सायं 6.32 बजे

(लोक सभा बुधवार, 5 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

* सायं 6.05 बजे से सायं 6.32 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2007/14 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 274

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281, 283, 284, 285, 287 और 288 के मौखिक उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्या 282, 286 और 289—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2670—2884 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (ख) (एक) सेतुसमुद्रम् कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेतुसमुद्रम् कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं का सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं का सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापटनम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापटनम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) विशाखापटनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापटनम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विशाखापटनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापटनम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2007 जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2007 जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2007 जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 703(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 359(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 360(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 362(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2007 जो 26 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 391(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2007 जो 26 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 392(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 5 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 424(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (बारह) भारतीय पुलिस सेवा (बेतन) चौथा संशोधन नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 425(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2007 जो 20 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 471(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (बेतन) चौथा संशोधन नियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 472(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (20) उपर्युक्त (19) की मद संख्या (पांच से पन्द्रह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले ग्यारह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2006-2007 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—
- (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पालिटिक्स एण्ड इकानॉमिक्स, पुणे
 - (दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, तिरुवनंतपुरम
 - (तीन) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम
 - (चार) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, वडोदरा
 - (पांच) सीआरआरआईडी पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, चंडीगढ़
 - (छह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, पटना
 - (सात) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, दिल्ली
 - (आठ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, श्रीनगर
 - (नौ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, लखनऊ
 - (दस) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, उदयपुर
 - (ग्यारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, भुवनेश्वर
 - (बारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, धारवाड
 - (तेरह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, सागर
 - (चौदह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, गांधीग्राम
 - (पन्द्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, गुवाहाटी
 - (सौलह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, चंडीगढ़
 - (सत्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, बंगलौर
- (26) उपर्युक्त केन्द्रों के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) का०आ० 1483(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-हैदराबाद रोड) पर प्रोजेक्ट फैसिलिटी के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1471(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वलायार-त्रिमूर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 1500(अ) जो 7 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चार) का०आ० 1635(अ) जो 27 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का०आ० 1522(अ) जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापटनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 1555(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 808(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का०आ० 1698(अ) जो 4 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (आठ) का०आ० 1803(अ) जो 23 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1836(अ) जो 26 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (दस) का०आ० 1834(अ) जो 26 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 1732(अ) जो 10 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 1430(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बडोदरा-सूरत खंड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 1531(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरुच-सूरत खंड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौदह) का०आ० 1532(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 621(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पंद्रह) का०आ० 1536(अ) और का०आ० 1537(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरुच-सूरत खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सोलह) का०आ० 1740(अ) जो 12 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरुच-सूरत खंड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 1731(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठारह) का०आ० 1861(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का०आ० 1887(अ) जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (मानाचेरा बाजार से ऐनाखल तक) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 1935(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव-कोटपुतली खंड) के चार लेन वाले विभिन्न खंडों के प्रयोक्ताओं से उद्घारणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 1841(अ) जो 29 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1318(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

- (बाईस) का०आ० 1843(अ) और का०आ० 1844(अ) जो 29 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाड़ोन खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 1923(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलामंगला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 1924(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-होसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 1424(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 1739(अ) जो 11 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (दरभंगा-सकरी खंड) पर बने पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 1357(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसूर-कृष्णागिरी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 1359(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (उनतीस) का०आ० 1360(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अठीपल्ली-कृष्णागिरि खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 1397(अ) जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 1398(अ) जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 279(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बत्तीस) का०आ० 1432(अ) और का०आ० 1433(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ताँतीस) का०आ० 1434(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौंतीस) का०आ० 1459(अ) जो 25 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पाँतीस) का०आ० 1460(अ) जो 25 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर एयरपोर्ट जंक्शन में फ्लाइओवर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 1461(अ) जो 25 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर काठीपारा जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सेंतीस) का०आ० 1468(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपासों (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 1469(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 1470(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चालीस) का०आ० 1479(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जिला राजस्व अधिकारी, डिंडीगुल, तमिलनाडु को तमिलनाडु राज्य में बाईपास के निर्माण सहित विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 को चौड़ा करने, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (इकतालीस) का०आ० 1515(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 1516(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पूर घाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तैतालीस) का०आ० 1524(अ) जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चवालीस) का०आ० 1527(अ) और का०आ० 1528(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतालीस) का०आ० 1533(अ) और का०आ० 1534(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खंडों (कृष्णागिरि-थोप्पूर घाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 1541(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 45 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-I) को चौड़ा करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-II) के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 1542(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले और चेन्नई जिले में काठीपाड़ा जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) का०आ० 1565(अ) जो 18 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए जिला राजस्व अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (उनचास) का०आ० 1709(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी (तिरुचिरापल्ली-विरालीमलै-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 1711(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 1712(अ) और का०आ० 1713(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खंडों (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बावन) का०आ० 1714(अ) और का०आ० 1715(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खंडों (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरपन) का०आ० 1716(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 118(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबन) का०आ० 1717(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पूर घाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 1718(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करुर

खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (28) उपर्युक्त (27) की मद सं^o (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988, की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) का०आ० 1634(अ) जो 27 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं^o 1 और 10 में उल्लिखित खंडों को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
 - (दो) का०आ० 1730(अ) जो 10 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं^o 6 में उल्लिखित खंडों को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
 - (तीन) का०आ० 1860(अ) जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं^o 2 में उल्लिखित खंडों को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 29.6.2006 से 28.6.2007 की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 29.6.2006 से 28.6.2007 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1570(अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन में नियुक्त किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (32) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1571(अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री चौधरी सतीश किशन, एडीजे, नाडे॒ड को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, मुंबई में कठिपय शर्तों के अध्यधीन पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - (दो) अधिसूचना सं० एफ सं० एन०एच०-11014/2/2004-पीएण्डएम जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार, तत्काल प्रभाव से पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, मुंबई को सौंपा गया है।
- (33) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कार्डिसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कार्डिसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) यूरोनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूरोनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) सेमी कंडक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेमी कंडक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (36) (एक) एटॉमिक एनर्जी एडुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एटॉमिक एनर्जी एडुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) याया मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) याया मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) याया इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) याया इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (41) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टिट्यूट इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (46) (एक) नार्थ इस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नार्थ इस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गंडकी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गंडकी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (51) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) सेंटर फार इनवायरनमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंटर फार इनवायरनमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) सीपीआर इनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सीपीआर इनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर आरनिथोलाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सलीम अली सेंटर फॉर आरनिथोलाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 1677 जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का० आ० 671 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण)

संशोधन नियम, 2007 जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 704 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री सी० कुप्पुसामी ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बीमा प्रभाग) ‘समाज के कमजोर वर्गों के लिए बीमा योजनाएं’ विषय पर प्राक्कलन समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का विवरण

श्री रूप चन्द्र पाल ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड-किशनपुर-मोगा ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण में अतिरिक्त व्यय-433.81 का अतिरिक्त व्यय के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 12वें (की-गई-कार्यवाही) प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच के अंतिम उत्तर में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रभुनाथ सिंह ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) बिहार के दरभंगा में विभिन्न दंत चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा दी गई बीडीएस की

डिग्री को मान्यता देने हेतु श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य से प्राप्त याचिका के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 35वां प्रतिवेदन।

- (2) कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों पर 36वां प्रतिवेदन।

9. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ रासा सिंह रावत ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 56) संबंधी 192वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 201वां प्रतिवेदन।
- (2) उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 57) संबंधी 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 202वां प्रतिवेदन।
- (3) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 103) संबंधी 194वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 203वां प्रतिवेदन।
- (4) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 104) संबंधी 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 204वां प्रतिवेदन।
- (5) जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम तथा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना संबंधी 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 205वां प्रतिवेदन।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के

कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (तीन) प्रधान मंत्री कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (चार) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- *(पांच) संसदीय कार्य मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 'आजादी एक्सप्रेस' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

11. ध्यानाकर्षण

डॉ चिंता मोहन ने देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों की ओर रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

रसायन और उर्वरक मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.52 बजे

12. संकल्प - स्वीकृत

श्री लालू प्रसाद ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया—

* अपराह्न 12.50 बजे।

“कि यह सभा रेल अभिसमय समिति (2004) के तीसरे प्रतिवेदन, जो 12 अगस्त, 2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 23 और 24 में यथाअंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।”

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(सभा अपराह्न 12.55 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.33 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 1.34 बजे

13. सदस्यों द्वारा निवेदन

राष्ट्रीय खनिज नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने राष्ट्रीय खनिज नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री अर्जुन चरण सेठी

2. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

श्री शिवराज विं पाटील ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.55 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री ढी० विट्ठल राव द्वारा भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा पशुपालन क्षेत्र में लगे किसानों को आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री गुहाराम अजगल्ले द्वारा छत्तीसगढ़ के ‘सनवारा’ समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्री सुरेश अंगड़ि द्वारा कर्नाटक में बेलगाम विमानपत्तन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री काशीराम राणा द्वारा देश के सहकारी बैंकों को कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मैगनीज अयस्क संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री सुनील खां द्वारा ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड से अतिरिक्त अपेनिया की खरीद पर इफ्फको द्वारा रियायत/राजसहायता की मांग किए जाने संबंधी मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डा० बाबू राव मिडियम द्वारा भारत द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों की फाइलिंग में वृद्धि करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) प्रो० गम गोपाल यादव द्वारा निजी जीएसएम ऑरेटरों को आवंटित निःशुल्क अधिशेष स्पेक्ट्रम की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा नेपाल से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाकर उत्तर प्रदेश की खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री धरन राम द्वारा झारखण्ड में ‘कनहर सिंचाई परियोजना’ का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती अर्चना नायक द्वारा कृषि क्षेत्र में विकास में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा झारखण्ड के संथाल परगना में बैंकिंग सेवाओं की निगरानी और इसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार द्वारा विदेशी एयरलाइनों द्वारा कालीकट विमानपत्तन से खाड़ी देशों तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन किए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री वनलाल जावमा द्वारा मिजोरम के लिए चावल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.56 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.32 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.33 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

उपलब्ध समय: 3 घंटे
लिया गया समय: 1 घंटा 39 मिनट
शेष समय: 1 घंटा 21 मिनट

प्रौ० विजय कुमार मल्होत्रा ने आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निखिल कुमार
 2. श्री मोहम्मद सलीम
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

16. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 44वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 4.12 बजे

17. सरकारी विधेयक-पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 38 मिनट

(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बसुदेव बर्मन
2. श्री सुग्रीव सिंह

3. श्री सी०के० चन्द्रप्पन
4. श्री महावीर भगोरा
5. श्री पिरिधर गमांग
6. श्री रूपचन्द्र मुर्मू
7. श्री धनसिंह रावत
8. डॉ टोकचोम मैन्या
9. श्री वरकला राधाकृष्णन
10. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
11. श्री तापिर गाव
12. श्री एस०के० खारवेनथन
13. श्री एस०के० बैसीमुथियारी
- *14. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

श्रीमती डॉ पुरन्देश्वरी ने बाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 50 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए। श्रीमती डॉ पुरन्देश्वरी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 5.51 बजे

लिया गया समय: 2 घंटे 23 मिनट

(दो) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007

श्रीमती मीरा कुमार ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अविनाश राय खन्ना
2. श्री एस० के० खारवेनथन
3. श्री वरकला राधाकृष्णन
4. श्री राम कृपाल यादव
5. श्री ए० कृष्णास्वामी
6. श्रीमती अर्चना नायक
7. श्री प्रबोध पंडा
8. श्रीमती करुणा शुक्ला
9. श्री अधीर चौधरी
10. डॉ के० एस० मनोज
11. श्री शैलेन्द्र कुमार
12. श्री मोहन जेना
13. डॉ सत्यनारायण जटिया
14. श्री एम० शिवन्ना
15. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
16. श्री हरिभाऊ राठौड़

श्रीमती मीरा कुमार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 30 स्वीकृत हुए।

श्रीमती मीरा कुमार ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 30क, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती मीरा कुमार ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

*रात्रि 8.52 बजे

(लोक सभा गुस्वार, 6 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

* रात्रि 8.15 बजे से रात्रि 8.52 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—5252LS—05-12-2007.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 6 दिसम्बर, 2007/15 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 275

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका।
अतः, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 301—320 को अतारांकित माना
गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2885—3106 के उत्तरों के साथ आज की
कार्यवाही वृत्तांत में सुनित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) सेन्ट्रल बैंक काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की
एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) सेन्ट्रल बैंक काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार
द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन
की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (4) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (घ) (एक) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ङ) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) साउथ सेन्ट्रल जॉन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।
- (दो) साउथ सेन्ट्रल जॉन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैरिरिंग टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैरिरिंग टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (छ) (एक) एफसीआई अरावली जिस्म एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एफसीआई अरावली जिस्म एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (22) हिन्दुस्तान एन्टीबॉयोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2002-2003 से 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन रेलवे फाइनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे फाइनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (घ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ङ) (एक) नेशनल इंस्ट्रॉमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (च) (एक) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (छ) (एक) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ज) (एक) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (झ) (एक) एचएमटी० लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी० लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ज) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उट्टरकमंड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उत्कमंड का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी सहायक कंपनियों का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (29) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे का वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (30) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (परिसमाप्त के अधीन) के कार्यों के संवीक्षित विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के परिसमाप्त के कार्यकरण और निष्पादन को दर्शाने वाले विवरण (परिसमाप्त के अधीन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड और सहायक कंपनियां, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड और सहायक कंपनियां, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

3. अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई:—

(1) श्रीमती मनोरमा माधवराज	-	27.08.2007 से 10.09.2007
(2) श्री राजेश रंजन	-	02.12.2006 से 19.12.2006 23.02.2007 से 20.03.2007 और 26.04.2007 से 10.05.2007
(3) श्री अंजन कुमार यादव	-	15.11.2007 से 30.11.2007
(4) डॉ मोहम्मद शहाबुद्दीन	-	07.05.2007 से 17.05.2007 10.08.2007 से 10.9.2007 और 15.11.2007 से 30.11.2007
(5) श्रीमती प्रिया दत्त	-	15.11.2007 से 07.12.2007

(6) श्री एं नरेन्द्र	- 15.11.2007 से 07.12.2007	
(7) श्री प्रकाश परांजपे	- 15.11.2007 से 07.12.2007	
(8) श्री अतीक अहमद	- 10.08.2007 से 10.09.2007 और 15.11.2007 से 07.12.2007	
(9) श्री गोविन्दा अरुण आहुजा	- (i) 17.03.2007 से 20.03.2007 26.04.2007 से 17.05.2007 10.08.2007 से 10.09.2007 15.11.2007 से 29.11.2007	अनुपस्थिति की छूट प्रदान की गई
	(ii) 30.11.2007 से 02.12.2007	अनुमति प्रदान की गई

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।
- (एक) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; तथा
- (दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित हथकरघा क्षेत्र के लिए विकासात्मक स्कीमों (2005-2006) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

5. प्रस्ताव

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 5 दिसम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

6. सरकारी विधेयक—पुरस्थापित

(एक) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007

(दो) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री हरिसिंह चावडा द्वारा पालनपुर-कांडला-खेड ब्राह्मा-श्यामला और अहमदाबाद-आबू रोड को जोड़ने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गणेश सिंह द्वारा भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थस्थलों को जोड़ने वाला एक ‘रामपथ’ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा नई दिल्ली और जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को छह लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख द्वारा महाराष्ट्र के शोलापुर में वायुयान सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री संतोष गंगवार द्वारा बरेली में राजमार्ग संख्या 24 पर एक बाईपास और एक रेल ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा ‘खेसारी दाल’ के उत्पादन पर से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पी० राजेन्द्रन द्वारा केरल में किवलौन (कोल्लम) बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती जयाप्रदा द्वारा उत्तर प्रदेश में कोशी रेलवे फाटक पर एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (9) श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार में भूतही-बलान नदी पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री चंद्रकांत बी० खैरे द्वारा देश में गो-वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधान लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रेल संपत्ति ‘पूजा परिसर’ में दुकानों के आबंटन हेतु लाइसेंस देने संबंधी नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रामस्वरूप प्रसाद द्वारा नासिक में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 2142) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री के० येरननायडु द्वारा नासिल का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री के० फ्रांसिस जार्ज द्वारा वृहत् विद्युत परियोजनओं से राज्यों को विद्युत के आबंटन के लिए विद्युत वितरण के निजीकरण के बारे में लिए गए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007

श्री ए० के० एंटनी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 43 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री ए० के० एंटनी ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.06 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007/16 अग्रहायण, 1929 (शक)

संख्या 276

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री सरजू प्रसाद सरोज, जो नौवीं लोक सभा के सदस्य थे, के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321, 322, 324, 325, 327 और 328 के मौखिक उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्या 323, 326 और 329—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3107—3336 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
 - (ख) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
 - (ग) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
 - (घ) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (3) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 101 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) शेयर बाजार घोटाले और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाई के बारे में 9वीं प्रगति रिपोर्ट—दिसम्बर, 2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 1550(अ) जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 30 अगस्त की अधिसूचना संख्या का० आ० 1484(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत राजवित्तीय वर्ष 2006-2007 मध्यावधि समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) केंयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) केंयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन), नियम 2007 जो भारत के राजपत्र में 15 सितम्बर, 2007 को अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 191 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग विनियमन, 2007, जो भारत के राजपत्र में 31 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 688(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 1594(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का० आ० 306(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियमन, 1988 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नियम, 2001, जो अंडमान और निकोबार के राजपत्र में 5 दिसम्बर, 2001 को अधिसूचना संख्या 219/2001/एफ० सं० 50-469/2001-डैव.I में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड उपनियम, जो अंडमान और निकोबार के राजपत्र में 5 दिसंबर, 2001 को अधिसूचना संख्या 217/2001/एफ० सं-एएनआईकेवीआईबी/5-4/2001 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियम, 2003, जो अंडमान और निकोबार के राजपत्र में 11 सितम्बर, 2001 को अधिसूचना संख्या 166/2003/एफ० सं-50-560/2000-डेव. I, में प्रकाशित हुए थे।
- (15) उपर्युक्त (14) में डिल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) (एक) बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (19) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदन—दिसम्बर, 2007 के बारे में तीसरे वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव—अक्टूबर, 2007 के बारे में विधि आयोग के 202वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अंतर्गत वर्ष 2006–2007 के लिए उक्त अधिनियम के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूशन ऑफ बॉयोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूशन ऑफ बॉयोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उसमें उल्लिखित 39 संस्थानों के वर्ष 2006–2007 के और दो संस्थानों के 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006 और 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) रामन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (30) (एक) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत मालाबार स्टील री-रॉलिंग मिल लिमिटेड एण्ड स्टील काम्प्लेक्स लिमिटेड (विलय) संशोधन आदेश, 2007 जो 7 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 326(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएवल इनजीं, कपूरथला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (33) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएवल इनजीं, कपूरथला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाईज वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाईज वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) बिल्डिंग मैटेरियल्स एण्ड टेक्नालॉजी प्रोमोशन कार्डिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिल्डिंग मैटेरियल्स एण्ड टेक्नालॉजी प्रोमोशन कार्डिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (38) राष्ट्रीय शहरी भवन और आवास नीति–2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (40) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (क) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (43) उपर्युक्त (42) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साईन्सेज, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साईन्सेज, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, शिमला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, शिमला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) ऑल डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ऑल डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 101 के अंतर्गत खाद्य संरक्षा और मानक (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2007 जो 15 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1757(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (51) (एक) महात्मा गांधी इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्टरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्टरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—
- (एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (56) नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के 37वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (58) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) (एक) नेशनल इंस्ट्र्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्ट्र्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—
- (एक) विजया बैंक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (दो) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (तीन) यूको बैंक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (चार) इंडियन बैंक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

- (पांच) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सात) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (नौ) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (दस) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ग्यारह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (62) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (63) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (64) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (2007 का संख्यांक 13)—संघ सरकार के लेखे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) संघ सरकार—वर्ष 2006-2007 के वित्तीय लेखे
 - (दो) संघ सरकार—वर्ष 2006-2007 के लिए विनियोग लेखे (सिविल)
 - (तीन) संघ सरकार—वर्ष 2006-2007 के लिए विनियोग लेखे (डाक सेवा)
 - (चार) संघ सरकार—वर्ष 2006-2007 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।
- (66) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 228 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2020(अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 दिसम्बर, 2007 को उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों के लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-2008 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय के रुझान की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेट्रिरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटिरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत न्यूज़प्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2007 जो 21 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1967(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (74) (एक) केश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (76) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (101) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 6 दिसम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2007 को पारित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के वर्तमान सत्र के दौरान हुई 31वीं से 33वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ सत्यनारायण जटिया ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए—

- (1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन;
- (2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन;

- (3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ करण सिंह यादव ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीः—

- (1) स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन;
- (2) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर आयुष विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विद्युत मंत्री ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित उर्जा संबंधी स्थायी समिति के 18वें, 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) शहरी विकास मंत्री की ओर से रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित ‘दिल्ली विकास प्राधिकरण’ के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 8वें और 16वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) वित्त मंत्री ने वित्तीय लेखे 2006-2007 और लेखा-एक-दृष्टि-में/बजट-एक-दृष्टि-में दिए गए राजस्व और राजकोषीय घाटे के समाधान के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) जनजातीय कार्य मंत्री ने “अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

*10. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

केन्द्रीय कर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण विधेयक, 2007

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.18 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

- (1) श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री किरण माहेश्वरी द्वारा गेहूं की आयात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और सोनौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29(अ) पर महेसर सेतु का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री अशोक अर्गल द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चार लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सुकदेव पासवान द्वारा बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन डिपो को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (6) श्री महावीर भगोरा द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले में 'जल ग्रहण योजना' के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुधांशु सील द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा भारतीय कॉफी बोर्ड को छठा केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री एन॰एन॰ कृष्णदास द्वारा दक्षिण रेलवे में कोलेनगोड और त्रिसूर के बीच नई रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री पारसनाथ यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों का आमेलन राज्य के पंचायती राज विभाग में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा उत्तर प्रदेश के बुदेलखंड क्षेत्र में ऐतिहासिक भवन, सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धारा कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

12. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 2.10 बजे

13. राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 2.11 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.11 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।